राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 12] पंचम विधान सभा के बारहवें सत्र का पहला दिवस [संख्या 1

शुक्रवार

1 अक्टूबर, 1976

विधान सभा की बैठक म.पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[योजना, खाद्य, चुनाव, जन-स्वास्थ्य, राजस्व, वन, देवस्थान–विभाग]

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ! श्री मोहनराज ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट ! श्री अमृतलाल गहलोत !

लेवी शक्कर के थोक विक्रेताओं को कमीशन

2. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा-जोधपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) लेवी शक्कर के थोक विक्रेताओं को प्रति क्विन्टल कितना कमीशन दिया जाता है ?

(2) थोक विक्रेताओं के द्वारा लेवी शक्कर की प्राप्ति एवं कलेक्टर का उसकी घोषणा के पश्चात् कितने महीने का अधिकतम समय फुटकर विक्रेताओं को अपना मासिक आवंटित कोटा उनसे उठाने के लिए दिया जाता है ?

(3) उपरोक्त कमीशन के बदले में उन्हें क्या क्या व्यय एवं सेवायें देनी पड़ती हैं ? कृपया उनका पूर्ण ब्योरा मूल्यांकन सहित सदन के पटल पर रखें ?

खाद्य मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) लेवी शक्कर के थोक विक्रेता को प्रति क्विन्टल 7 रु. खर्चे के दिये जाते हैं।

(2) फुटकर विक्रेता को सम्बन्धी माह में ही चीनी उठानी पड़ती है ।

(3) ब्योरा सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, आपने प्रश्न का उत्तर दिया है कि उसी महीने के अन्दर चीनी उठायी जाती है । मैं कहता हूं कि जोधपुर जिले में कम से कम दो महीने के लिए चीनी की

Page No 2

(2)

(श्री अमृतलाल गहलोत)
बोरी रखी जाती है, तो क्या यह राज्य सरकार के आदेश हैं कि उनको इसकी इजाजत है?

श्री परसराम मदेरणा : सामान्यतः चीनी का कोटा एक माह में उठा लिया जाना चाहिये। जोधपुर जिले के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को और मुझे स्वयं को भी जानकारी है कि जिला स्तर की खाद्य समिति की 8 अगस्त, 74 की बैठक में निर्णय लिया गया था कि विक्रेताओं को चीनी दो महीने के बाद लेव्स होनी चाहिए। उसी निर्णय के अनुपालन में यह आदेश अभी भी चल रहे हैं। अभी बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वयन समिति की बैठक में भी इस प्रकार का प्रश्न आया था।

श्री अमृतलाल गहलोत : मजदूरी की रेट 2.50 बताई गई है। एक बोरी की कीमत 215/—होती है, इस पर आप ब्याज की दर क्या मानते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : ब्याज की दर कई बातों पर मुनस्सर करती है। अगर चीनी गंगानगर मिल से आती है या केशोरायपाटन से आती है तो ब्याज की दर आत क्विन्टल ज्यादा होगी। फिर कुल मिलाकर सब बातों को ध्यान में रखते हुए एफ.सी.आई. इक्वेलाइज करता है। क्योंकि उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है इसलिए ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। फिर ट्रांसपोर्ट में कितने दिन लगते हैं। जयपुर में 15 दिन ज्यादा से ज्यादा उचित हैं। जोधपुर में कितने दिन लगते हैं यह वहां की स्थिति पर निर्भर है और उसके लिए वह उचित है। लेकिन दो महीने का जो निर्णय है वह जिला कमेटी का निर्णय है, उसके मामले में चाहें तो।

श्री अमृतलाल गहलोत : दो महीने अगर शक्कर की बोरी रुकी रही तो 18 प्रतिशत ब्याज बैंक ले लेता है। इस समय खर्चा पांच रुपया देते हैं। इसके बाद सात, आठ और दस रुपये खर्चा होता है। इसलिए या तो वह चोर बाजारी करें या दिवालिया बन जाय। इसलिए आप कोई इकानामिक रेट क्यों नहीं देते हैं। आप कोई अकाउन्टेन्ट बिठाइये ताकि इस पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य सरकार का निर्णय है कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर, जो क्रय-विक्रय संघ है, को सात रुपये दिये जायं, उसमें एक रुपया उनके लिए है और 6/— रुपया होल सेलर के लिये। सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे रेल गोदाम का एक रुपया खर्चा नहीं मिल रहा है। इसकी मैं जांच करवा लूंगा और फैक्टस को वेरीफाई करूंगा।

दूसरी बात यह है कि पूरे देश के अन्दर दस रुपया खर्चा दिया जाता है, उसमें सात रुपये होल सेलर के हैं और तीन रुपये रिटेलर के इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानते हैं और जब 2.60 रु. था तब माननीय सदस्य ने 1970 में एतराज किया था, उसके बाद चार रुपये हुआ, 8.50 रु. हुआ और फिर दस रुपये। ज्यों-ज्यों प्राइसेज बढ़ती गई और मूल्य में वृद्धि हुई तो इस प्रकार से कमीशन भी बढ़ता गया। हमने भारत सरकार को लिखा है कि इसमें

(श्री परसराम मदेरणा)
11.50 रु. खर्चा होता है और भारत सरकार ने भी इसको माना है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : (बाड़मेर) अभी आपने जो कमीशन के बारे में बताया है, सात रुपये क्विन्टल, उसमें ट्रान्सपोर्टेशन का नहीं है; जो कमीशन चार्जेज हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल सकता है। फिर कोई भी कोआपरेटिव सोसायटी इस धन्धे को ईमानदारी से नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकती। इससे तो ब्लैक को प्रोत्साहन मिलेगा। इसको मिटाने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक ट्रांसपोर्टेशन टेरिफ का प्रश्न है यह डिसटेन्स पर डिपेण्ड करेगा। कोई स्थान दूर होता है तो कोई नजदीक। जगह दूर होगी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज कम पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में हमने भारत सरकार को लिखा था, और जगहों से भी उनके पास सूचना आई है कि शक्कर इसलिए नहीं आ रही है कि ट्रांसपोर्टेशन का टेरिफ कम है। भारत सरकार से निवेदन किया है कि ट्रांसपोर्टेशन टेरिफ बढ़ाया जाना चाहिए। राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है, बड़ी डिफिकल्ट सड़कें हैं और कई प्रकार की दिक्कतें हैं, कोई भी रिटेलर इस पर तैयार नहीं होता है, इसलिए राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए टेरिफ को बढ़ा दीजिए। उन्होंने हमको सूचित भी किया है कि यह नीति-निर्धारण का प्रश्न है और देश भर में यूनिफार्मिटी को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई भी परिवर्तन करना उचित नहीं समझते हैं। अब क्योंकि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इससे तो ब्लैक मार्केटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, मेरा निवेदन है कि यह ब्लैक मार्केटिंग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका चालान हो जायगा। कन्ज्यूमर चीनी के वितरण से महरूम हो जायगा और वह ब्लैक मार्केट करेगा, ऐसा कोई हौसला तो करके देखे। इसलिए हम कोई और युक्तियुक्त और तर्कसंगत जानकारी प्राप्त करके भारत सरकार को निवेदन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

ग्राम पंचायतों के चुनाव

3. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की ग्राम पंचायतों के चुनाव में विलम्ब के क्या कारण हैं?

(2) राज्य सरकार ने विधान सभा में चुनाव कराने के लिये कब-कब आश्वासन दिये? उन आश्वासनों का क्रियान्वयन करने में राज्य सरकार को क्या क्या बाधायें और कठिनाइयां आईं? क्या वे बाधायें और कठिनाइयां ऐसी थी जिन्हें पार नहीं किया जा सकता था?

(3) राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के चुनाव अब कब तक कराने का विचार रखती है? निश्चित तिथि से अवगत कराने की कृपा करें।

चुनाव मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) कारणों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(श्री खेतसिंह)

(2) विधान सभा में तीन बार आश्वासन दिया गया है, 27-1-70, 18-3-74 व 8-4-74। आश्वासनों को क्रियान्वित न करने के कारणों की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) पंचायत आम चुनाव 10 दिसम्बर, 1976 से 23 दिसम्बर, 1976 तक सम्पन्न करा दिये जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखिये)

श्री मनोहरलाल (शर्मा) : यह भी आश्वासन ही है या नहीं है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अभी जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में मंत्री महोदय ने तीन बार आश्वासन दिये हैं। कहीं ऐसा न हो कि यह भी आश्वासन न हो रह जाय और इसकी भी क्रियान्विति न हो। क्योंकि पार्लियामेन्ट के भी···

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : आपकी राय है कि पंचायत के चुनाव नहीं कराये जाने चाहिएं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : नहीं, मेरा निवेदन है कि पार्लियामेन्ट के चुनाव हों तो भी कराये जाने चाहिएं।

श्री हरिदेव जोशी : यह आपकी राय है। गवर्नमेंट की राय अपने ढंग से हुआ करती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : गवर्नमेंट कोई भी प्रस्ताव करे और उस पर दृढ़ नहीं रहे···

एक माननीय सदस्य : अब की बार तारीख बताई है, पहले तारीखें नहीं बताई थीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकार लाल !

तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नतियाँ

4. श्री ओंकारलाल चौहान (इग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के पदों पर प्रमोशन्स के लिये गिरदावरों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता था ?

(2) क्या अब इस आधार में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो अब कौन सी नीति अपनाई जाती है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) (1) जी नहीं। राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति, योग्यता एवं वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर दी जाती थी।

(2) जी हां। दिनांक 31-10-75 से केवल योग्यता के आधार पर ही पदोन्नति दी जाती है।

श्री ओंकारलाल चौहान : जो लोग पहले की नीति से अफेक्टेड होते थे, क्या आपके पास उन लोगों के रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं ? आपने उन पर क्या फैसला किया है ?

Page No 5

(6)

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं या नहीं, इसकी तो मुझे वर्तमान में जानकारी नहीं है लेकिन जो अमेंडमेंट्स रूल्स में हुए हैं वह सारे सबोर्डिनेट सर्विसेज के बारे में हुए हैं और सभी के लिये डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल से सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है कि जहां जहां रिलेवेन्ट क्लाज था वह अमेंड हो जायेगा। यह यूनिफार्म पालिसी है सरकार की जो सभी के साथ लागू कर दी गई है।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग पहले वाली नीति से अफेक्टेड थे, उनके केसेज पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : अफेक्टेड होने के प्रश्न पर तो मैं आश्वासन नहीं दे सकता। सीनियोरिटी कम मैरिट में सीनियोरिटी को खास आधार माना जाता था और केवल मैरिट की जहां बात है, वहां सीनियोरिटी कोई आधार नहीं है। अब प्रमोशन का आधार जहां मैरिट रखा है, वहां सीनियर आदमी रह सकता है। सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट संविधान के अमुक अनुच्छेद के अन्तर्गत किया जाता है, उसमें किसी इन्डीवीजुअल केस के लिये एक्सेप्शन करना सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री।

प्रश्न संख्या 5

श्री उपाध्यक्ष : Closed Next.

श्री धर्मेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सुरेशचन्द्र !

गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना

6. श्री सुरेशचन्द शर्मा (कोटपूतली): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने के लिए विपणन बोर्ड व सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक कमेटी बनाई गई है जो प्रदेश को सड़कों की योजना बना रही है ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई ?

राज्य मंत्री योजना (श्री कुम्भारसिंह) : जी हां। योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा लगभग 15 दिन में प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

श्री सुरेशचन्द शर्मा : क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि कृषि विपणन बोर्ड के पास पैसा है और पी. डब्ल्यू. डी. के पास पैसा नहीं है। तो सरकार इस बारे में क्या योजना बना रही ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : यह जो योजना बना रहे हैं, जिस में कृषि विपणन बोर्ड के पास तो पैसा है और स्टाफ पी. डब्ल्यू. डी. के पास है, तो हम यह जानना चाहते हैं कि किसके माध्यम से यह योजना बना रहे हैं और कब तक पूरी हो जायेगी ? पड़ोसी राज्यों में कृषि विपणन बोर्डस द्वारा प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है।

श्री जुझार सिंह : कृषि विपणन बोर्ड के पास पैसा है और पी.डब्ल्यू.डी. के पास चीफ इन्जीनियर और दूसरे इन्जीनियर्स हैं, तो वह सब मिलजुल कर योजना बना रहे हैं और दोनों के कोग्रापरेशन से स्कीम्स बनाई जा रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कृषि विपणन बोर्ड के जो अधिकारी हैं, वह भी पी.डब्ल्यू. डी. से ही डेपूटेशन पर आये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह अलग से प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट ! श्री मीठालाल!

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस बारे में जानकारी चाहते थे कि इस मामले में बहुत अनावश्यक डिले हो रही है। प्रदेश में 2509 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की जो बात थी, उसमें आपने बहुत डिले कर दी है। इससे गांवों में परेशानी है।

श्री जुझार सिंह : मिनीमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत जो स्कीम थी उसके अन्दर 2500 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की बात थी और इसके लिये धनराशि भी उपलब्ध की गई थी, लेकिन बाद में वित्तीय संकट के कारण वह स्कीम नहीं चल सकी। अब इसके लिये फेज्ड प्रोग्राम बनाने की बात है, जिसमें पहले 2500 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा, बाद में उनसे कम आबादी वाले गांवों को भी लिया जायेगा। 2000 की आबादी वाले गांवों को भी सड़क से जोड़ा जाये तो 60 करोड़ रुपये का खर्चा होने का अनुमान है, इसलिए काफी समय लगेगा और फिलहाल 2500 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को लेने का ही प्रोग्राम है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भारत सरकार की तरफ से जो मिनीमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत योजना आई थी, उसमें भी यही था कि 1500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाये। जयपुर शहर में आपने इस प्रोग्राम के अन्तर्गत 10 लाख रुपये लैप्स करा दिये। वह किसी दूसरी जगह ट्रान्सफर हो गये। कहीं ऐसी स्थिति फिर तो नहीं आ जायेगी?

मुख्य मंत्री (हरिदेव जोशी) : जी नहीं ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल !

जयपुर जिले में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

7. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में अलग-अलग कितनी चरागाह भूमि पर इस वर्ष अतिक्रमण कर फसल बुवाई की गई थी व भूमि को अन्य कार्य में लिया गया? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त अतिक्रमण से अब तक कितना अतिक्रमण हटाया गया तथा बाकी अतिक्रमण नहीं हटाने का क्या कारण है?

(3) क्या यह सही है कि जिले की लालसोट तहसील में जनता व जनप्रति-

(श्री मोठालाल मीणा)
निधियों द्वारा उच्च अधिकारियों व सरकार से बार-बार निवेदन करने पर भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार चरागाहों से अतिक्रमण हटाने में पूर्ण सक्षम नहीं है तथा अतिक्रमण हटाने में होने वाले खर्च का राजस्व विभाग में कोई प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो इसके निराकरण के बारे में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग चरागाह के अतिक्रमणियों से प्राप्त कई सालों की पेनल्टी की राशि स्थानीय ग्राम पंचायतों को नहीं लौटा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सम्पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिये निवेदन है कि इसको स्थगित किया जाये।

श्री मोठालाल मीणा : इसी सत्र में आ जायगा न ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री शंकरलाल।

गांव खोड और जवाली (पाली) में पीने के पानी की योजना

8. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील के गांव जेतपुरा के समीप से गांव खोड और गांव जवाली में पीने का पानी सप्लाई करने हेतु योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो योजना कब और कितनी धनराशि की स्वीकृत की गई ?

(2) इस योजना के तहत कितना कार्य सम्पन्न किया जा चुका है व कितना कार्य शेष है ?

(3) सम्पूर्ण कार्य कब तक करवा दिया जायगा ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह) :

(1) जी हां। ग्राम खोड़ की रिवाइज्ड जल प्रदाय योजना दिनांक 13-6-76 को 4.77 लाख रुपये की लागत के लिए स्वीकृत की गई है। ग्राम जवाली की रिवाइज्ड जल प्रदाय योजना दिनांक 17-6-75 को 4.00 लाख रुपये की लागत के लिए स्वीकृत की गई है।

(2) रिवाइज्ड जल प्रदाय योजना के अनुसार इन दोनों योजनाओं को जवाई नहर के आसपास के ग्रामों को वृहत् क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से जोड़ने हेतु आवश्यक पाईप लगभग प्राप्त किये जा चुके हैं एवं उन्हें लगाने के लिए कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। ग्राम जेतपुरा में आवश्यक भूतल पर टंकी बनाने के लिए भी कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। योजनानुसार आवश्यक जनरेटिंग सेट एवं क्वार्टर का कार्य करना बाकी है।

(श्री खेतसिंह)

(3) उपरोक्त योजनानुसार पूर्ण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित पूरा कर दिया जावेगा।

श्री शंकर लाल : आपने बताया कि योजना मन्जूर हो गई, लेकिन वह कागजों में ही है। मौके पर कोई कार्य चालू नहीं हुआ है। वहां न तो टंकी है न और कुछ। मन्त्री महोदय क्या इसके लिए जल्दी करने के आदेश देंगे?

श्री खेतसिंह: पंचायतों के चुनाव होने के पूर्व पाइप पहुंच जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री राम रघुनाथ चौधरी!

वनों से लकड़ी लाने के नियम

9. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लकड़ी ले जाने के लिए ट्रांजिट पास देता है? अगर हां, तो क्या यह उस क्षेत्र के लिए भी लागू है जहां वन नहीं है?

(2) एक बार दिये गये ट्रांजिट पास में कितनी बार लकड़ी ढोई जा सकती है तथा वन विभाग की उसके प्रतिबन्ध के लिए क्या व्यवस्था है?

(3) जो व्यक्ति सिर पर लकड़ी का गट्ठर उठा कर कस्बे अथवा शहर में निजी प्रयोग अथवा बेचने हेतु लाते हैं, उनके लिए भी कोई किसी प्रकार के पास की व्यवस्था है? अगर हां, तो इसके लिए क्या नियम व कितनी धन राशि प्रति व्यक्ति अथवा प्रति गट्ठर वसूल करने की व्यवस्था है?

(4) क्या बूंदी शहर में प्रति दिन सैंकड़ों लोग इसी प्रकार के गट्ठर सिर पर उठा कर लाते हैं! अगर हां, तो इससे प्रतिदिन वन विभाग को कितनी आय होती है? पिछले तीन माह की प्रति दिन की आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या वन से प्रति दिन लकड़ी लाने वाले व्यक्तियों के लिए वन विभाग के नियमों के अन्तर्गत कोई उचित व्यवस्था है? अगर हां, तो क्या? जो लोग नियमों का पालन न करते हुए लकड़ी लाते हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है? आज तक पिछले तीन माह में किस किस दिन कितने व्यक्तियों के खिलाफ कितनी बार कार्यवाही की गयी कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और लकड़ी लाते रहे?

राज्य मंत्री वन, (श्री मूलचन्द मीणा):

(1) जी हां, वे नियम पूरे प्रदेश में लागू हैं।

(2) एक ट्रांजिट पास पर एक ही बार लकड़ी ढोई जा सकती है। एक पास पर एक से अधिक बार निकासी पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था के लिये ट्रांजिट पास में निकासी की मयाद उसी अनुरूप दी जाती है एवं ट्रांजिट में नियमानुसार चैकिंग भी की जाती है।

(3) अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्था है। प्रमुख क्षेत्रों की व्यवस्था परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(श्री मूलचन्द मीणा)

(4) बूंदी शहर में प्रतिदिन लगभग दो सौ व्यक्ति इसी प्रकार गट्ठर सिर पर उठा कर लकड़ी लाते हैं। इससे विभाग को प्रतिदिन (रविवार को छोड़कर) औसतन 61-05 पैसे की आय होती है पिछले तीन माह की प्रतिदिन की आय का विवरण सूची 'ख' में अंकित है।

(5) जी हां। प्रति दिन लकड़ी लाने वालों के लिये राजस्थान वन अधिनियम, 1951 व विज्ञप्ति दिनांक 24-11-1955 के अन्तर्गत आवश्यक प्रावधान है।

जो लोग नियमों का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। प्रश्न अस्पष्ट है।

इसके बाद का अंश अस्पष्ट है इसकी सूचना अलग से है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—3 देखिये)

श्री राम रघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 17-8-76 को हम कुछ विधायक लोग वहां से गुजरे थे और वहां पर हमने करीब सौ, डेढ़ सौ औरतों की भीड़ देखी जो नाजायज लकड़ी ले जा रही थी तो वहां के कर्मचारियों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की ? वह एक एक रुपया लेकर गट्ठर ले जाने दे रहे थे।

श्री मूलचन्द मीणा : 17-8-76 की जो माननीय सदस्य बात कर रहे हैं कि एक रुपया लेकर गट्ठर ले जाने दे रहे थे, ऐसी आपके पास सूचना है तो बता दें, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि उस दिन हम चार-पांच विधायक लोग उधर से गुजरे तो हमने वहां पर महिलाओं की भीड़ देखी और हमारी गाड़ी रोकनी पड़ी। हमसे उन औरतों ने कहा कि हमें कर्मचारी नाजायज रोक रहे हैं। हमने वहां पर सरसरे तौर पर जानकारी की तो उन्होंने बताया कि 5 या 6 रोज में चैकिंग होती है, उस दिन औरतें नहीं आती हैं, बाकी रोज मर्रा इस तरह से औरतें लकड़ी ले जाती हैं, और कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। हमने वापिस आते समय भी जानकारी लेनी चाही लेकिन उन्होंने बताने में असमर्थता जाहिर की तो मेरा निवेदन है कि 17-8-76 के बारे में आप जानकारी करें और कार्यवाही करें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बूंदी से ताल्लुक रखता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जब परसराम जी मदेरणा वन विभाग के मंत्री थे तब भी मैंने उन्हें इस बारे में निवेदन किया था कि यहां पर लोग जंगल से हरी लकड़ी काट काट कर ले जा रहे हैं और वहां के वन बिलकुल नष्ट हो रहे हैं। आज जब, उपाध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम को हम पूरा करने जा रहे हैं तब यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इन पेड़ों की कटाई बन्द नहीं की गयी तो हम 20 सूत्री कार्यक्रम को

Page No 10

(१०)

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

पूरा नहीं कर सकेंगे। जहां तक सवाल वहां के डिस्ट्रिक्ट फोरेस्ट आफिसर्स का है वह लोग तो बिलकुल ही अकर्मण्य हैं। वह लोग इसका कुछ भी इन्तजाम आज तक नहीं कर सके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जबकि हमारे युवा नेता श्री संजय गांधी पेड़ों को लगाने की बात करते हैं वहां पर इस प्रकार से हरे वनों को काटा जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इस प्रकार के जो परमिट लेकर या बिना परमिट के वनों की कटाई की जा रही है वह बन्द करके जो दोषी व्यक्ति हैं उन्हें सजा दी जाय।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं, पेड़ों की कटाई बन्द की जानी चाहिए, इसके लिए मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि राज्य सरकार बार बार इस बात की कोशिश कर रही है कि इस प्रकार से वनों की कटाई बन्द की जाय। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार विभागीय स्तर पर भी वनों की कटाई को रोकने के लिए नियमों में प्रोविजन्स बना रही है। इसके साथ ही एक प्रश्न में जैसा कि माननीय सदस्य श्री राम रघुनाथ ने कहा, 100 गट्ठर लकड़ी के थे और सिर्फ 11 रुपये ही जमा हुए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जब कि माननीय सदस्य ने स्वयं ने अपनी आंखों से देखा तो इसके लिए मैं जांच करवा लूंगा और इसके लिए अगर कोई जांच के दौरान में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो उसके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न ट्रांजिट परमिट लेकर लकड़ी ले जाने का है उसके सम्बन्ध में मेरा यह प्रश्न है कि जहां पर रिजर्व फोरेस्ट नहीं हैं या जो वन विभाग के रिजर्व फोरेस्ट में वन नहीं आते हैं उन इलाकों में भी इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है। मैं आपको मेरे ही नागौर जिले का उदाहरण देना चाहता हूं वहां पर कि रोजाना 20-22 लोग लकड़ी काट काट कर ले जाते हैं। यह रोजाना जब निकलते हैं और उन्हें पूछते हैं तो वह अजमेर का ट्रान्जिट पास बताते हैं। वह कहते हैं कि हमने अजमेर से ट्रान्जिट पास ले रखा है। तो क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार लकड़ी काट कर ले जाने की इजाजत दे रखी है? क्या यह बात सही है?

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांजिट पास जो होता है वह तो लकड़ी ले जाने के लिये ही दिया जा सकता है। ऐसा नियमों में है। लेकिन अगर लोग चोरी छिपे लकड़ी काट कर ले जाते हैं तो वह बात अलग है। इसके लिये हमारे वन विभाग के नाके बने हुए हैं जो कि इसकी निगरानी करते हैं। वन विभाग की चौकियां बनी हुई हैं। वह चैक करते हैं। हो सकता है वह लोग उधर से निकलते हों जिनके पास ट्रांजिट पास हों। अगर चौकियों से गुजरते हैं और वहां कोई गड़बड़ी होती है और माननीय सदस्य के पास अगर इस बात की कोई जानकारी हो तो वह यहां उदाहरण दे दें, मैं उसकी जांच करवाने को तैयार हूं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि नागौर जिले से लकड़ी काट कर ले जाते हैं और वहां पर

(श्री राम रघुनाथ)
फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का कोई रिजर्व फोरेस्ट नहीं है। वहां खेजड़ी की लकड़ी काट कर ले जा रहे हैं···

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लकड़ी पैदा होती है उसमें कहीं पर लैण्ड रेवेन्यू के नीचे आने वाली लकड़ी होती है, कहीं पर खुद काश्त की लकड़ी होती है तो कहीं पर खुद की जमीन की लकड़ी होती है। रिजर्व फोरेस्ट की लकड़ी काट कर ले जाते हैं उनके लिये ट्रान्जिट पास दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री चतुर्भुज।

घीपडांस (देवली) में जंगलात की भूमि

10. श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत दीपडांस तहसील देवली में जंगलात की 200 बीघा भूमि सिवाय चक में परिवर्तित हो चुकी है? यदि हां, तो क्या यह भूमि भूमिहीनों को अलाट कर दी गयी है? यदि नहीं की गई है तो अब यह भूमि भूमिहीनों को सरकार कब तक अलाट कर देगी?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा): यह सही नहीं है। दिनांक 2-6-75 एवं 22-6-75 को 50 बीघा भूमि का आवन्टन उपखण्ड अधिकारी, टौंक द्वारा कुछ भूमिहीनों को किया गया था परन्तु इस भूमि के बाबत विभाग का यह दावा है कि यह भूमि वन क्षेत्र है। इस कारण अभी इसका कब्जा आवंटियों को नहीं दिया गया है। इस आवन्टन के विरुद्ध वन विभाग ने जिलाधीश के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवन्टन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। अभी जिलाधीश ने इस बाबत निर्णय नहीं दिया। मामला इनके यहां विचाराधीन है।

श्री चतुर्भुज: उपाध्यक्ष महोदय, 50 बीघा नहीं 200 बीघा जमीन उपखण्ड अधिकारी, टौंक द्वारा भूमिहीनों को आवंटन की गयी थी। जब वह जमीन जंगलात की सिवाय चक में परिवर्तित हो चुकी और उसका अलाटमेन्ट भी हो चुका है तो वह भूमि भूमिहीनों को अभी तक क्यों नहीं दी गयी है? उनको कब्जा तो मिलना चाहिये।

श्री मूलचन्द मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं वह 200 बीघा जमीन नहीं है वह जमीन 100 बीघा और 12 बिस्वा जमीन है। वह जमीन चूंकि वन विभाग की है जैसा कि उन्होंने दावा किया है, यह मामला जिलाधीश के विचाराधीन है इसलिये अभी तक उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है इस मामले में रिकार्ड दुरुस्ती नहीं हो पाने के कारण यह हुआ है। जब वह हो जायेगा तो वह जमीन जिसको होगी उसे दे दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री चतुर्भुज: उपाध्यक्ष महोदय, वह जमीन कनवर्ट की जा चुकी है। जंगलात से वह जमीन सिवाय चक में परिवर्तित की जा चुकी है और वह जमीन भूमिहीनों को

(श्री चतुर्भुज)
उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अलोट भी की जा चुकी है। तब उन भूमिहीनों को उन जमीनों का कब्जा क्यों नहीं दिलाया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। आप विराजिए।

सिलोरा एवं अराई (किशनगढ़) की जल प्रदाय योजना

11. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि किशनगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय सिलोरा एवं अराई की जल प्रदाय योजनायें, प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करने को एम. एम. पी. समिति ने सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या उक्त सिफारिशों के आधार पर योजना स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि हां, तो कार्य प्रारम्भ करने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ? तथा कार्य कब तक प्रारम्भ कर पूरा कर दिया जावेगा ?

श्री खेतसिंह (जन स्वास्थ्य मन्त्री) : ग्राम सिलोरा एवं अराई की जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत करने हेतु जिला आयोजना समिति ने प्रस्ताव भेजे हैं। इनके आधार पर ग्राम सिलोरा में हैण्ड पम्प योजना एवं अराई में पम्प टैंक योजना स्वीकृत करने का निर्णय किया जा चुका है। उपरोक्त दोनों योजनायें बनाई जा चुकी हैं एवं उनको स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। योजनायें स्वीकृत होने के उपरान्त इस वर्ष ही इन पर कार्य किया जावेगा। हैण्ड पम्प योजना के तहत कार्य इस वर्ष पूर्ण होने की सम्भावना है। पम्प व टैंक योजना का कार्य पूरा करने में साधारणतया 2 से 3 वर्ष का समय लगता है।

श्री प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जो योजना पूरी होने के लिए दो तीन वर्षों का नाम लेते हैं तो यह दो तीन वर्षों की अवधि तो बहुत लम्बी होती है। जब पैसे भी जमा हो चुके हैं तो क्या इस योजना को इसी साल में ही नहीं पूरी किया जा सकता जिससे कि लोगों को पानी की सुविधा मिल जाय ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इसको नजदीक ही पूरा करना चाहती है।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पश्चिम): यह, उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ का मामला है और चूंकि किशनगढ़ और अजमेर दोनों का सम्बन्ध ज्यादा है क्योंकि किशनगढ़ अजमेर जिले में आता है वहां पर पानी की भारी समस्या बनी हुई है हालांकि अभी इन पिछले दो सालों में बरसात भी काफी हुई लेकिन अभी तक अजमेर और किशनगढ़ की जनता को पीने को पानी नहीं मिलता है इसलिए मेरा राज्य सरकार से, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि इस स्कीम को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करके लोगों को पीने के पानी की समस्या को हल किया जाय। जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी बताया, इसमें दो-तीन वर्ष लगेंगे, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इन स्कीम्स को कम अवधि में पूरी करके इस समस्या को हल करावें ताकि लोगों को इन स्कीम्स का लाभ मिले।

Page No 13

(१३)

(व्यवधान प्रश्न)

श्री मीठालाल मीणा : पहले तो आप इन्हें बहका कर अपनी पार्टी में ले गये। इन्हें यह कह कर बहकाया कि हम तुम्हारे यहां बहुत जल्दी काम करायेंगे। पर इनके यहां आपने कोई काम नहीं कराया।

श्री खेतसिंह : यह तो आपके सोचने की बात है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि इसको जल्दी कराया जाये तो मैं यही कह सकता हूं कि मैं इसको जल्दी ही कराने का प्रयत्न करूंगा। इसके लिए मैंने आज ही दो बजे एक मीटिंग रखी है उसमें वहां के एम. एल. एज. को और चीफ इन्जिनियर तथा दूसरे वहां के इन्जिनियर्स को बुलाया है ताकि डिस्कस करके इन स्कीम्स को पूरा किया जा सके और वहां पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहे।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी के सम्बन्ध में एक प्रश्न है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कुछ अर्से पहले लोगों से पैसा तो ले लिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप भी दो बजे पधारिये।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : देखिये, मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोलती हूं तो मैं बोलूं तब आप भी बीच में नहीं बोलें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप नहीं जानते हैं क्या कि महिलाओं का अपमान करने पर सजा मिलती है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : इसमें अपमान करने का सवाल नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन योजनाओं का पैसा दो साल पहले जमा हो चुका है और योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं लेकिन उन पर कार्य अब तक नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहती हूं माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवा लें और जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करें।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी जांच करवा लूंगा।

श्री प्रतापसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं उनकी मंजूरी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास नहीं पहुंची है, इसलिये काम शुरू नहीं हो रहा है? इसके लिये मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। 'जांच करवा ली जायगी' यह कोई बात नहीं हुई। मैं चाहती हूं ऑथेन्टिक रूप में मंत्री महोदय जवाब दें जिन योजनाओं के लिये पैसा जमा हो चुका है लेकिन कार्य चालू नहीं हुआ है, वे कार्य अब कब तक चालू करवा देंगे? इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जयपुर, जिले की योजनायें मंजूर हो चुकी हैं इसलिये मेरी मजबूरी है कि इस वर्ष तो ये योजनायें नहीं ले पाऊंगा। आगामी वर्ष में देखा जायगा।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन जिलों की मंजूरी बाद में हुई है, पैसे भी बाद में जमा हुए हैं और सारा काम बाद में हुआ है। लेकिन मेरे यहां की योजनाओं का पैसा पहले जमा हुआ है उसको तो चालू नहीं करवाना चाहते हैं और जिनकी मंजूरी बाद में हुई है उनके लिये आप कहते हैं कि काम पहले शुरू करवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जवाब नहीं आया सेटिस्फेक्ट्री।

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का प्रश्न है। आप माननीय सदस्या को थोड़ा समय दीजिये····

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट से योजनाएँ मंजूर करके आयोजना विभाग और वित्त विभाग में भेज दी गई हैं। वहां से आने पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

अलवर जिले में कस्टोडियन की भूमि की कीमत।

12. श्री रतीराम यादव (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में गत वर्ष भूमिहीनों को भू-आवंटन अभियान के अन्तर्गत काफी बड़ी मात्रा में कस्टोडियन लैण्ड भी कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई थी और उसकी कीमत 625) रु. प्रति बीघा वसूल करना तय किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसी आवंटित कस्टोडियन लैन्ड पर 50 प्रतिशत आवंटियों ने ही कीमत जमा करा के कब्जा लिया और बाकी ऊंची कीमत न दे पाने के कारण कब्जा न ले सके ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि ऐसी जमीन पर आवंटियों में 75 प्रतिशत व्यक्ति हरिजन एवं कमजोर वर्गों से सम्बन्धित हैं ?

(4) क्या यह सही है कि गत बजट सत्र में राज्य सरकार ने ऐसी जमीन की कीमत कम करने पर विचार करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। 63 प्रतिशत आवंटियों ने कीमत की प्रथम किश्त जमा करा दी है तथा उन्हें कब्जा दे दिया गया है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(3) जी हां।

(4) जी हां। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि कब तक यह मामला तय हो जायगा ? दस हजार बीघा जमीन अभी तक ऐसी पड़ी है जिस पर पिछले साल आवंटन होने के बाद भी काश्त नहीं कर पा रहे हैं और अब आवंटन होने जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं उससे पहले वाले मामले तय कर दिये जायं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (4) में माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस तरह का आश्वासन पिछले सत्र में भी दिया गया था, उसके बारे में मैं कह सकता हूं वह विचाराधीन है और अगर किन्हीं कारणों से मैं आश्वासन पर आश्वासन इस सदन में देता गया और वे आश्वासन यदि पूरे नहीं हुए तो प्रिविलेज बन जाता है इसलिए मैं आश्वासन नहीं दूंगा।

श्री रतीराम यादव : जो आवंटन होने जा रहा है उससे पहले के मामले तय हो जायं तो फिर दिक्कत नहीं आयेगी और मामले आगे तक पेंडिंग नहीं रहेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 13

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री कोठारी

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री चेतराम

ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी के चरागाहों पर अतिक्रमण

14. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर के चरागाहों पर किये हुए अतिक्रमणों को बेदखल किया गया ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि अतिक्रमण को बेदखल करने के पश्चात् भी उन्हीं लोगों ने चरागाहों पर पुन: अतिक्रमण कर लिया है तथा मौके पर फसल खड़ी है एवं जोत लगा रखी है ? यदि हां, तो ऐसे अतिक्रमी कौन-कौन हैं तथा क्या राज्य सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां। गत वर्ष ग्राम मोहनपुरा की चरागाह भूमि पर 17 व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर 17 बीघा भूमि पर काश्त की गई थी, उनको गत वर्ष ही बेदखल कर दिया गया था।

(2) यह सही नहीं है कि गत वर्ष बेदखल करने के पश्चात् ग्राम मोहनपुरा में स्थित चरागाह भूमि पर अनधिकृत काश्त इस वर्ष बोई गई हो और कोई काश्त उक्त चरागाह भूमि पर खड़ी हो। दो व्यक्तियों द्वारा दो बीघा भूमि पर अनधिकृत जोत लगाई थी उन्हें बेदखल किया जा चुका है।

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पिछले साल जिन लोगों

(श्री चेतराम)
को बेदखल किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस वर्ष भी खरीफ की फसल हुई है और रबी फसल के लिए भी जमीन तैयार की गई है। उस पर अब रबी की फसल भी होने वाली है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आप जांच करवा लें और जांच करने के बाद कार्यवाही करें।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रात को ही एस.डी.ओ. को मौके पर भेज दिया है। उन्होंने मुझे बताया है, विधान सभा में प्रश्न आ रहा है कि दो व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है। रहा प्रश्न अब रबी का, सरकार इस प्रकार के कदम उठायेगी कि फसल न बोई जाये।

श्री मीठालाल मीणा : किस प्रकार के कदम उठायेगी ? इसका खर्चा आयेगा वह कौन करेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : खर्चे का प्रश्न अलग से है। खर्चे वाले प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ववेदचन को तो मैंने एडजोर्न करवाया है। प्रश्न यही है कि ये वे ही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल ट्रेस पास किया है और सब्सीक्विंएट ट्रेस पास जिन्होंने किया है उन्होंने क्रिमिनल आफेन्स किया है इसलिए, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, जिनकी जमीन चरागाह की जमीन से मिलती थी वहां कहीं कहीं एक बीघा और कहीं कहीं दो बीघा का अतिक्रमण किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि रबी फसल के लिए चरागाह को तैयार किया जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार चन्दा दयोनारायण ने एक एक बीघा पर दुबारा अतिक्रमण किया है। आप यह कह रहे हैं जिनके खेत चरागाह के पास आये हैं उन्होंने चरागाह की भूमि पर थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण किया है, यह जानकारी नहीं है। जहां तक डिमार्केशन कराने का सवाल है, डिमार्केशन कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकर सिंह।

किसानों से ऋण की वसूली

15. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पटवारियों द्वारा किसानों से ऋण वसूली की कार्यवाही जारी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार किसानों से ऋण वसूली की कार्यवाही पूरे वर्ष अभियान चला कर न करने तथा कोई निश्चित समय में करने का समय निर्धारित करेगी ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : जी नहीं, ऋण वसूली की कार्यवाही पूरे वर्ष अभियान चलाकर नहीं की जाती है। उसकी वसूली प्राय: भू-राजस्व की वसूली के साथ की जाती है।

Page No 17

(17)

(श्री मूलचन्द मीणा)
जिसके लिए निश्चित समय पूर्व में ही निर्धारित है।

श्री शंकरसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि चूंकि किसान वेतन भोगी कर्मचारी तो है नहीं जिससे उनको निश्चित समय पर वेतन मिल जाये इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनका वेतन तो फसल से सम्बन्धित है और उसी समय वसूली की जाये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं जो वसूली की कार्यवाही है वह निश्चित समय में हो, उसके बाद न हो ताकि किसान को दिक्कत न हो। उत्पादन के समय ही वसूली हो।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान है, क्योंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है इसलिए मैंने राजस्व विभाग को यह आदेश दिया है कि पुन: विचार करें। सभी जिलाधीशों को डेफिनेट आदेश दिये गये हैं। मैं अधिक इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन 8–10 दिनों में आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमान सहाय व्यास।

तहसील विराट नगर के हल्का पटवारी के विरुद्ध शिकायतें

16. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील बिराट नगर के हलका पटवारी आंतेला, साहीवाड़, बीजवाड़ी, हणुतिया, नोरंगपुर के विरुद्ध अनेकों शिकायतें राज्य सरकार के पास हैं ? यदि हां, तो अब तक इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : जी नहीं। केवल श्री रमेशचन्द्र पटवारी हल्का नोरंगपुरा तहसील विराट नगर के विरुद्ध शिकायत विचाराधीन है जिसके लिए पटवारी को सी.सी.ए. रूल्स के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप–पत्र दिया जा चुका है। मामला विचाराधीन है।

श्री हनुमान सहाय व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस किसी भी अधिकारी ने आपके पास सूचना भेजी है, तथ्य भेजे हैं वे तथ्यों से बिल्कुल विपरीत हैं और तथ्यों को छिपाया गया है। सन् 1973 और 74 के सत्र में भी माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया था। इसके अलावा भी एस. डी. ओ. के सामने इन्क्वायरी पड़ी हुई है, जिलाधीश के दफ्तर में भी इन्क्वायरी पेंडिंग है। इसकी दुबारा जांच करवा कर सही सूचना मंगाइये।

राजस्व मंत्री (परसराम मदेरणा) : पूर्व में जो सूचना दी गई थी और जो सूची दी गयी थी उसमें जो पटवारी के हल्के बताये उसमें नाम अंकित नहीं है वह सूची अभी मेरे पास है। चूंकि आप ऐसा कह रहे हैं कि जो सूचना यहां सदन में दी गयी था 75 में उसमें पटवारी हल्के, जो आपने बताये, अंकित होने चाहिए, तो जिसने गलत सूचना दी है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

श्री हनुमान सहाय व्यास : पटवारी को सस्पेन्ड कर रखा है। जो सूचना दे रहा हूं उसको आप कन्फर्म कर लीजिये। नौरंगपुरा के पटवारी के खिलाफ जांच जारी है। मनोहरपुरा पटवारी कैलाशनारायण के खिलाफ इन्क्वायरी, जांच, एस.डी.ओ. कर रहे हैं। मातेला के पटवारी, बृजमोहन पटवारी, देवली, ग्यारसीलाल पटवारी, बारू की इन्क्वायरी हुई है। बहाल कर दिया गया है इनको। तालाब में पानी वर्षों से भरा हुआ है, जमीनें पानी से खाली नहीं होती हैं। इसलिये जो भी सूचना दी है आपकी वह गलत दी है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विस्तृत जानकारी करके पुनः जवाब देने की कृपा करें।

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीश से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लूंगा और जो इन्फार्मेशन मुझे दी गयी है उसमें कोई कान्ट्रेडिक्शन है। कुछ पटवारी सस्पेन्ड किये गये हैं, जिनके विरुद्ध जांच चल रही हैं या बहाल कर दिये हैं, एक पटवारी के खिलाफ सी. सी. ए. रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है, इस सम्बन्ध में यदि कोई भी गलत सूचना दी गयी है तो मैं सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध एक्शन लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

दौसा (जयपुर) में अतिरिक्त जिलाधीश न्यायालय की मांग

17. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा उप-जिला अधिकारी के क्षेत्राधिकार में कितने मुकदमे विभिन्न श्रेणियों के विचाराधीन हैं?

(2) दौसा उपखण्ड के कितने मुकदमे अपीलेट कोर्ट्स (राजस्व अपील अधिकारी, जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश) में विचाराधीन हैं?

(3) क्या यह सही है कि दौसा उपखण्ड की तहसील सिकराय बसवा व लालसोठ के गांवों की दूरी जयपुर से काफी अधिक है जिससे कि किसानों का जयपुर आने जाने व पैरवी में काफी समय व धन बर्बाद होता है?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर के बजाय इन स्थानों से दौसा की दूरी काफी कम है?

(5) क्या राज्य सरकार कृषक गरीब व मजदूर लोगों की इस असुविधा को दूर करने हेतु दौसा में अतिरिक्त जिलाधीश न्यायालय की स्थापना पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) उपजिला अधिकारी दौसा के कार्य क्षेत्र में संलग्न मानचित्र के अनुसार भिन्न-भिन्न न्यायालयों में उनके सामने दर्ज मुकदमात विचाराधीन हैं।

(2) दौसा उप-खण्ड के राजस्व मुकदमात अपीलेन्ट कोर्ट्स राजस्व अपील अधिकारी, जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिलाधीश की न्यायालय में

Page No 19

(19)

(श्री मूलचन्द मीणा)
क्रमश: 42, 9 और 301 अपीलें विचाराधीन हैं।

(3) जी हां, वास्तविक दूरी तो अधिक है किन्तु आधुनिक यातायात के साधनों की उपलब्धि के कारण किसानों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

(4) तुलनात्मक दृष्टि से तो दूरी कम है।

(5) ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखिये)

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उप खण्ड 2 के उत्तर में जो जवाब दिया है। उसमें काफी मुकदमों की तादाद को माननीय मंत्री जी ने माना है। साथ ही साथ आपने यह भी फरमाया है कि आवागमन के साधनों को देखते हुए दूरी नहीं लगती है। मैं निवेदन करूंगा कि यह तो व्यक्तिगत मामला हो गया लेकिन जो दूरी है वह तो है ही और जनता को परेशानी आपके हिसाब से नहीं होगी लेकिन वास्तविक रूप से परेशानी जनता को है ही। समय भी लगेगा और खर्च भी अधिक आवेगा। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि वह सही ढंग से इस पर सोचें और निष्पक्ष रूप से इन्क्वायरी करें जो कि बहुत ही आवश्यक है कि इसकी वास्तविक रूप से कितनी आवश्यकता है।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): दूरी का सम्बन्ध तो तुलनात्मक दिया है। दौसा के पास की जो तहसीलें हैं उनकी जयपुर से तो दूरी होगी ही। 300 केसेज कलेक्टर के पास हैं तो उसके लिए अलग से कोर्ट कायम करना संभव नहीं है। पिछले सत्र में भी आपका आग्रह रहा है, एडीशनल कलेक्टर की कोर्ट दौसा में लगा दी जाय। राज्य सरकार ने इस प्रश्न को लिया तो उचित नहीं समझा। इसके अतिरिक्त भी यदि आप उचित समझें और माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात करना चाहें तो अलग से करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : मुख्य मंत्रीजी से भी बात कर लूंगा लेकिन आप ही इससे सम्बन्धित होंगे। एडीशनल कलेक्टर की कोर्ट को स्थापित करेंगे तो सही तौर पर एस. डी. ओ. के पास जो कार्य है उसका बंटवारा कर सकेंगे। ए. डी. एम. की कोर्ट के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता है। आपके कथन से मैं कुछ हद तक सहमत हूं। आप भी अपने प्रभाव को काम लें, जुडिशियरी ने भी मान लिया है डिसेन्ट्रेलाइजेशन को, कम समय और कम खर्च के अन्दर लोगों को सस्ता और सही और शीघ्र न्याय मिलना चाहिये। इसलिये, आप इस पर पुनर्विचार करिये।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 18

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री रुद्रीप्रसाद गुप्ता।

अलवर जिले में पटवारियों की ट्रेनिंग के लिये चयन

19. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस साल पटवारियों की ट्रेनिंग के चयन के लिये अलवर जिले में कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुईं और उनमें से किन-किन को फाइनल सलेक्शन के लिये इन्टरव्यू में बुलाया गया ? उनकी योग्यता क्या क्या है ? कृपया इन्टरव्यू में बुलाये गये उम्मीदवारों की सूची मय उनकी योग्यता के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उन उम्मीदवारों में से फाइनल सलेक्शन में किस किसको सलेक्ट किया गया ? उनकी सूची मय योग्यता के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि फाइनल सलेक्शन में जिनको सलेक्ट किया गया था उनमें से किसी को बिना सूचना दिये उनके बजाय दूसरे उम्मीदवारों को चुन लिया गया और उसको ट्रेनिंग में भेज दिया गया ?

(4) क्या सलेक्शन में गड़बड़ की कोई शिकायत जिला प्रशासन, अलवर को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) कुल 738 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 54 उत्तीर्ण प्रत्याशियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। सूची संलग्न है।

(2) कुल 7 प्रत्याशियों का चयन किया गया। आदेश की प्रति संलग्न है। चूंकि मूल आवेदन-पत्र प्रशिक्षणशाला, टोंक में भेज दिये गये हैं, अतः उनकी योग्यता की सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है।

(3) जी नहीं।

(4) इस सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र कांग्रेस सेवादल, अलवर से प्राप्त हुआ था। लेकिन चयन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—5 देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि इस सम्बन्ध में रैवेन्यू बोर्ड की हिदायतों का पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सलेक्शन मेरिट लिस्ट पर होता रहा है लेकिन इसमें क्या हुआ कि उस प्रकार से नहीं किया है और मेट्रिक पास को सलेक्ट किया है दीगर को नहीं। सलेक्शन में मनमानी की गयी है। रिटर्न में जो लोग अच्छे नम्बर से पास हुए वे तो रह गये और दूसरे आ गये।

श्री शंकरलाल (पाली) : एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से साक्षात्कार के लिये किए गये या कैसे ?

श्री मूलचन्द मीणा : भर्ती करने के लिये आवेदन पत्र लिये जाते हैं और आवेदन पत्रों के अनुरूप ही उनके टेस्ट लिये जाते हैं। 54 आदमी सलेक्ट हुए। 47 को इन्टरव्यू के लिये बुलाया और 7 लिये।

श्री शंकरलाल : एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से बुलाया जाना चाहिये था तो वे उनके थ्रू आये या नहीं आये ?

श्री मूलचन्द मीणा : रेवेन्यू बोर्ड की हिदायतें हैं कि उनको खुद को सलेक्ट करना चाहिये। जो एप्लीकेशन्स आयीं, एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के जरिये से आयीं या नहीं इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : अगर एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के जरिये से नहीं लिये गये तो इसके सलेक्शन को कैंसिल करवा देंगे ? अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो जांच कराने से क्या फायदा ?

श्री परसराम मदेरणा : हाईपोथेटिकल प्रश्न पूछा गया है। नाम मांगे गये या नहीं मांगे गये इस तथ्य की जानकारी करली जायेगी। जानकारी प्राप्त करने के बाद ही बाकी और इस संबंध में कार्यवाही हो सकेगी।

श्री मीठालाल मीणा : मैंने जानना चाहा था कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम गये या नहीं गये। एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम नहीं गये जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है। अगर सीधे नाम गये तो क्या आप इसका उत्तर देंगे कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम क्यों नहीं गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इतने आवेदन प्राप्त हुए उनमें डाइरेक्ट एप्लीकेशन्स आई इसका मतलब यह है कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम नहीं मंगाये गये। आप इस पर विचार कीजिए कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम मंगाने चाहिए थे। मेरिट लिस्ट में मेट्रीकुलेट्स हैं और एम.ए. वाले रह गये। इस टेस्ट का क्या फायदा? एम.ए. पास रिजेक्ट कर दिए गए और मेट्रिक पास सलेक्ट कर लिए गए। जो सलेक्ट किये गये हैं उनकी क्वालीफिकेशन्स नहीं बताई। जो एम.ए. और बी.ए. हैं वह रह गए। यह जो सलेक्शन का तरीका है इसको आपको देखना चाहिये। सारे राजस्थान की शिकायत है और आप इसको देख लीजिए। या तो मेरिट से ले लीजिए या फिर एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम मंगा लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम मंगाये जाने चाहिए इस प्रकार के बोर्ड से आदेश हैं तो ठीक हैं। राज्य सरकार के भी आदेश हैं। उनकी अनुपालना हुई है या नहीं इस संबंध में मैं तथ्यों की जानकारी कर लूंगा और तथ्यों की जानकारी के बाद में जो सलेक्शन हो गया है, यह ट्रेनिंग प्रारम्भ टोंक में हो गयी है तो यह जो लेपसेज इसमें रह गये हैं वे या तो रेक्टीफाई हो सकते हैं या कानून का इतना उल्लंघन है कि पूरा का पूरा सलेक्शन इल्लीगल हो जायेगा, यह एग्जामिन करने का प्रश्न है। जहां तक प्रश्न है कि एम.ए. पास को नहीं लिया गया और दूसरों को लिया गया तो दूसरों की क्वालीफिकेशन क्या है वह फहरिस्त मैंने दी है। मैंने भी इस प्रश्न को देखा है। इसमें कुछ एम.ए. और बी.ए. भी हैं जो सलेक्ट किये गये हैं। उनकी योग्यता क्या थी उनकी लिस्ट पटवार स्कूल, टोंक में भेज दी गयी है तो उसका भी पता लगायेंगे और वह मंगाई जाये, ऐसा कहा गया है।

Page No 22

(72)

(श्री परसराम मदेरणा)

अब प्रश्न यह रहा कि मेरिट लिस्ट बनी और इन्टरव्यू में मेरिट लिस्ट ऊपर नीचे हुई तो मेरिट लिस्ट तो रिटर्न टेस्ट के आधार पर बनी है जो मैंने आपको दे दी है। अब उसके बाद में इन्टरव्यू के अन्दर क्या परफार्मेन्स रही है, मेरिट लिस्ट भी, जो एक्चुअली लिस्ट दी गयी है, एल्फाबेटिक आर्डर से है या नाम एल्फाबेटिक आर्डर में हैं यह जानकारी मुझे अभी नहीं है। यह सारी जानकारी प्राप्त करके इस संबंध में और भी हिदायत करने की आवश्यकता हुई तो पूरे मामले की मैं जांच करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

ईटाराना रुंध (अलवर) की जागीर का मुआवजा

20. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर). क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ईटाराना रुंध जिला अलवर महाराजा अलवर ने अपने दूसरे लड़के श्री यशवन्तसिंह को जागीर में दी हुई थी ?

(2) यह रुंध, जो जागीर में दी हुई थी, कुल रकबा कितना है ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1952 में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत इस जागीर को रिज्यूम नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस रुंध की भूमि और इसमें बनी हुई कोठी को भारत सरकार के लिए सेना की छावनी बनाने के लिए अवाप्त कर लिया है ? यदि हां, तो रुंध और कोठी का मुआवजा अलग अलग कितना कितना आंका गया है ?

(5) क्या यह सही है कि जिलाधीश, अलवर ने इस रुंध की अवाप्ति विज्ञप्ति को निरस्त करने बाबत सुझाव दिया था ? यदि हां, तो अलवर जिलाधीश के इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि जिलाधीश अलवर ने इस रुंध का भारत सरकार से मिलने वाला मुआवजा श्री यशवन्तसिंह को न देने की सलाह दी थी ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या निर्णय किया और क्यों ?

(7) क्या इस रुंध का भारत सरकार से पूरा मुआवजा मिल चुका है ? यदि हां, तो कितना मुआवजा महाराज कुमार को अदा किया है और क्यों ?

(8) क्या राज्य सरकार इस केस को रिओपिन करके पुनर्विचार का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां।

(2) इस रुंध का कुल रकबा 2533 एकड़ है एवं एक कोठी है।

(श्री मूलचन्द मीणा)

(3) जी हां, क्योंकि राजस्व मण्डल, अजमेर ने निर्णय दिनांक 23-10-63 द्वारा इस सम्पत्ति को जागीरदार की निजी सम्पत्ति माना है।

(4) रुंध की 2404 एकड़ भूमि को प्राप्त किया गया है। मुआवजा अभी तक नहीं आंका गया है। काम्पीटेन्ट आथारिटी द्वारा इसका सालाना किराया 18,992/–रुपये आंका गया है। कोठी मय 129 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30–3–60 को तीन लाख रुपये में खरीद की गई थी।

(5) जी हां, पत्र में उठाये गये कानूनी बिन्दुओं पर विधि विभाग से राय लेने के उपरान्त जिलाधीश के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया।

(6) जी हां, मामला आरबीट्रेटर के समक्ष विचाराधीन था परन्तु आरबीट्रेटर की नियुक्ति आदेश को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध श्री यशवन्त सिंह ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट दायर कर रखी है।

(7) जी नहीं।

(8) मामला राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन होने के कारण अभी इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या (2) के उत्तर में आपने बताया है कि इस रुंध का क्षेत्रफल करीब ढाई हजार एकड़ है और उसमें केवल मात्र एक कोठी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कोल्यूसिव तरीके से यह फैसला करा दिया गया कि यह जमीन कोठी से अपरटीनेन्ट है, लगी हुई है इसलिए उनकी यह निजी है। वरना जागीर एबोलीशन एक्ट में इतनी बड़ी ढाई हजार एकड़ जमीन निजी घोषित कर दी जाये एग्रीकल्चरल लैण्ड, यह बिलकुल गैर-कानूनी है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हाई कोर्ट में केस है वह दूसरे बिन्दु पर है। गवर्नमेन्ट को इस पर विचार करना चाहिये जैसे सीलिंग एक्ट के तहत री-ओपन करने की पावर्स गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली हैं, अगर आवश्यक हो तो गवर्नमेन्ट को जागीर एबोलीशन एक्ट के तहत भी री–ओपिन करने की पावर्स लेने चाहिये। इस प्रकार के केसेज को कोल्यूसिव तरीके से जागीरदारों ने अपने हक में तय करा लिया जिसका यह बहुत ग्लेयरिंग इन्सटान्स है। मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट को इसको री-ओपिन करना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : इस बिन्दु पर जांच की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री लूणाराम!

श्री डूंगरगढ़ के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें

21. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत, तोलियासर, जिला चूरू ने श्री सोहन

(श्री लूणा राम)
लाल महेश्वरी, तहसीलदार श्री डूंगरगढ़, के विरुद्ध पंचायत के प्रस्तावों सहित दिनांक 30-3-75 को राज्य सरकार से शिकायत की थी कि तहसीलदार द्वारा समय पर कानूनी कार्यवाही न करने के कारण लाखों की सम्पत्ति का औहड़ नष्ट हो गया एवं ग्रामवासी जल बिहीन हो गये ?

(2) यदि हां, तो इसकी जांच कब किस अधिकारी द्वारा की गयी व इसके क्या परिणाम रहे ? और नहीं, तो जांच न कराने का क्या कारण रहा ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां।

(2) उप जिलाधीश, रतनगढ से जांच मई, 1975 में कराई गई। जांच रिपोर्ट में कुछ अनियमिततायें पाई गई हैं जिसके लिये जिलाधीश को निर्देश दिये गये हैं कि यह आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र तैयार कर राजस्व मण्डल की आगामी कार्यवाही के लिए भेजें।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिलाधीश महोदय को यह आदेश कब दिए गए क्योंकि यह मामला दो साल पुराना है और अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री मूलचन्द मीणा : जिलाधीश महोदय को पहले आदेश दिये गये थे 2–6–75 को और उसके बाद बार बार रिमाइन्डर्स दिये गये 9–10–75, 3–1–75, 26–3–76, 17–2–76 और डी. ओ. लेटर भी दिया गया है अभी 27–9–76, को लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया है।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, जब इतना सीरियस मामला है और आप इस बात को मानते हैं कि इसमें अनियमिततायें हुई हैं इसके बावजूद भी और इतने रिमाइन्डर्स के बाद भी जवाब नहीं आया है तो इस सम्बन्ध में क्या आगे और कोई कदम उठाने की कार्यवाही की जायेगी जिससे कि न्याय मिल सके ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): आरोप पत्र एवं आरोप विवरण सर्व करने के आदेश कलेक्टर को दे दिये गये हैं लेकिन जिन रिमाइन्डर्स का अभी तक उत्तर नहीं आया उनके लिए कलेक्टर से एक्सप्लेनेशन काल किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न रह गया है। अभी एक मिनिट बाकी है। आधे किनारे पर आकर डूब रहा हूं।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

आदिवासी जनजाति के विकास की योजना

1. श्री मोहनराज (बालो) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार का ध्यान भारत सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय की ओर गया है कि राष्ट्र के विभिन्न भागों में घोषित अनुसूचित जनजाति (आदिवासी)

(श्री मोहनराज)
क्षेत्रों के अलावा भी जहां कहीं भी आदिवासी-जनजाति के लोग रहते हैं उनके विकास हेतु भी योजना बनाई जायेगी ?

(2) क्या राज्य सरकार ने ऐसे क्षेत्रों व लोगों का सर्वे करवा दिया है जो आदिवासी तो हैं पर घोषित क्षेत्र में नहीं रहते ?

(3) ऐसे लोगों के विकास हेतु क्या क्या योजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और इस हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान इस वर्ष रखा गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने इस दृष्टि से पाली जिले के आदिवासी गरासियां जनजाति के कल्याणार्थ भी कोई योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है ?

(प्रश्न समाज कल्याण विभाग को स्थानान्तरित किया गया)

उणियारा कस्बे की नल योजना

5. श्री राजेन्द्रसिंह (उणियारा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उणियारा कस्बे की नल योजना के कुओं का पानी खारा है । यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सही है कि कस्बे में टंकी के अभाव में पानी की सप्लाई अनिश्चित एवं अपर्याप्त मात्रा में होती है ?

(3) क्या यह सही है कि नगर में नलों की गलत फिटिंग होने के कारण लीकेज से कीचड़ व गंदगी फैली हुई है ? यदि हां, तो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) योजना पर उपलब्ध 2 कुओं में से एक कुए में जल खराब है । आवश्यकतानुसार अन्य निजी कुए योजना में काम लेने हेतु प्राप्त किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(2) जी नहीं । कस्बे में जल आवश्यकतानुसार वितरण किया जा रहा है ।

(3) जी नहीं । यदि कभी विभागीय पाइप लाइन टूट जाती है तो उसे शीघ्र ठीक करने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है ।

नाथद्वारा तहसील में सेटलमेन्ट का कार्य

13. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नाथद्वारा तहसील का अन्तिम सेटलमेंट कब पूरा हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि सेटलमेंट आपरेशन के दौरान विभाग ने कई खातेदार काश्तकारों की जमीन बिलानाम अथवा वन विभाग की घोषित कर दी है, जिसकी शिकायतें निरन्तर जिलाधीश उदयपुर, उप जिलाधीश, गिरवा, तहसील

(श्री मनोहर कोठारी)

द्वार नाथद्वारा तथा प्रति महीने की 3 तारीख को होने वाली अभाव अभियोग समिति के समक्ष आ रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के कई मामलों में गरीब काश्तकारों को घोषणा सम्बन्धी वाद प्रस्तुत करने को बाध्य होना पड़ रहा है ? ऐसे कितने वाद अब तक विचाराधीन हैं ? उसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि नाथद्वारा तहसील की कितनी ही बिला नाम भूमि को चरागाह और चरागाह की भूमि को बिला नाम दर्ज कर दिया गया है तथा कृषि भूमि को अनधिकृत तौर पर आबादी में दर्ज करा दिया गया है ? क्या राज्य सरकार इस मामले को गम्भीरता से लेकर किसी सक्षम प्रधिकारी द्वारा जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम झाडसर बड़ा (तहसील तारानगर) की सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा

18. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तारानगर (चूरू) तहसील के ग्राम झाडसर बड़ा की 15 बीघा जमीन (सरकारी) व एक सार्वजनिक कुण्ड पर किसी व्यक्ति ने नाजायज कब्जा कई वर्षों से कर रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति से पिछले वर्ष नाजायज कब्जा करने के कारण उक्त जमीन का लगान वसूल किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में शिकायतें करने के बाद भी नाजायज अतिक्रमण नहीं हटाया गया है ? अगर हां, तो क्या कारण हैं, और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) ग्राम झाडसर बड़ा की रोही में भू-खण्ड संख्या 21 क्षेत्रफल 6) 1 बीघा व खसरा नम्बर 23 क्षेत्रफल 6।) 3 बीघा भूमि सरकारी गैर मुमकिन खोड़ पर संवत् 2030 से लगातार श्री बनेसिंह पुत्र श्री गिरधारी जाट निवासी रतनपुरा तहसील राजगढ़ द्वारा अतिक्रमण कर उक्त भूमि की काश्त की जाती है। उक्त दोनों भू-खण्डों के बीच में खसरा नम्बर 20 क्षेत्रफल 1।।) 2 स्थित है। यह सरकारी कुण्ड है।

(2) जी हां, तावान वसूल किया गया था।

(3) जी नहीं, अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करके हर वर्ष बेदखल किया गया है। इस वर्ष में उसके द्वारा अतिक्रमण करके फसल खरीफ काश्त की गई है जिसके बाबत कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलियां

स्वर्गीय श्री बलवीरसिंह, श्री हजारीलाल पंवार एवं श्री स्वरूपनारायण पुरोहित को श्रद्धान्जलि

श्री उपाध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति !

माननीय मुख्य मंत्री महोदय !

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, यह अत्यन्त ही खेद का विषय है कि सदन के पिछले सत्रावसान के बाद में तीन भूतपूर्व माननीय सदस्यों का देहावसान हो गया एक श्री बलवीरसिंह, दूसरे हजारीलाल पंवार और तीसरे स्वरूप नारायण पुरोहित। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है ये माननीय सदस्य अलग अलग समय में इस विधान सभा के सदस्य रहे और उनका काफी इस सदन के संचालन में सहयोग रहा, योगदान रहा। यह बात दूसरी थी कि इन पिछले वर्षों में वे इस सदन के प्रांगण में नहीं आ सके थे किन्तु जहां तक उनकी सार्वजनिक जीवन में देन का सवाल है, वह देन काफी बड़ी थी। मैं तीनों माननीय सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह मृतात्माओं को शांति प्रदान करें।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, जो शोक प्रस्ताव, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा श्री बलवीरसिंह जी, श्री हजारीलालजी और श्री स्वरूप नारायण जी पुरोहित के सम्बन्ध में रखा गया है मैं अपनी ओर से उसमें शोक प्रकट करता हूं और अपनी पार्टी की ओर से अपने साथियों की ओर से, इन मृतात्माओं को श्रद्धांजलि पेश करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, इस विधान सभा के तीन भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर जो शोक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है मैं, अपने दल की ओर से अपनी शोकाभिव्यक्ति सम्मिलित करता हूं। साथ ही यह भी अर्ज करूंगा कि इनमें से एक सदस्य स्वर्गीय माननीय स्वरूप नारायण जी पुरोहित के साथ मुझे स्वयं 5 वर्ष तक इस सदन में सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं वे बराबर कर्मठता के साथ राजनीति में और सामाजिक जीवन में हिस्सा लेते रहे और उनके उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अन्य दो सदस्यों को भी राजस्थान के बहुत से लोग जानते हैं। उन्होंने अपना बहुत ही मूल्यवान योगदान सामाजिक और राजनैतिक जीवन में दिया है। मैं अपने दल की ओर से शोकाभिव्यक्ति करता हुआ उनके संतप्त परिवारजनों के लिए शांति प्रदान करने की कामना करता हूं।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, सदन के सम्माननीय नेता महोदय ने सदन के तीन भूतपूर्व सदस्यों के सम्बन्ध में, उनके देहावसान पर, शोक प्रस्ताव रखा है, उसके साथ ही मैं समस्त निर्दलीय सदस्यों की ओर से शोक व्यक्त करता हूं। मानव जीवन क्षण भंगुर है, विश्व के सभी राष्ट्रों ने इस बात का अनुभव किया है। इसके बावजूद भी जब कभी माननीय भूतपूर्व सदस्यों का, जो हमारे बीच में रहे, देहावसान होता है तो सार्वजनिक जीवन में निश्चित रूप से क्षति होती है। इन तीनों माननीय सदस्यों के देहाव-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
सान के कारण से सार्वजनिक क्षेत्र में एक अभाव हुआ है। उस अभाव को हम सब आज अनुभव करते हैं, उनकी कमी को अनुभव करते हैं। मैं परम पिता ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतात्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस क्षति को सहन करने की शक्ति दे।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, तीन भूतपूर्व माननीय सदस्यों के देहावसान पर माननीय नेता महोदय ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं अपने दल की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और दिवंगत माननीय सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बलवीरसिंह, श्री हजारीलाल पंवार, सदस्य, प्रथम विधान सभा और श्री स्वरूपनारायण पुरोहित, सदस्य, तृतीय विधान सभा आज अपने बीच में नहीं रहे। नियति ने, विधाता ने उन्हें हम से छीन लिया है। श्री बलवीर सिंह, श्री हजारीलाल पंवार और श्री स्वरूपनारायण पुरोहित से मेरा स्वयं का समीप का परिचय नहीं रहा है किन्तु जैसा कि राजस्थान विधान सभा सचिवालय और रिकार्ड से जो सामग्री उपलब्ध है, उससे स्पष्ट है कि उन्होंने तत्कालीन विधान सभा में अपने योगदान से एक महत्वपूर्ण स्थान विधान सभा के इतिहास में प्राप्त कर लिया था। श्री हजारी लाल पंवार भूतपूर्व अजमेर राज्य की विधान सभा के सदस्य थे और अजमेर राज्य के राजस्थान में विलीन होने पर वे राजस्थान की प्रथम विधान सभा के सदस्य बने। उन्होंने हरिजन उद्धार, दलित वर्ग संघ इस तरह के पद-दलित वर्गों में काम करके उस वर्ग की सद्भावना प्राप्त की। यही नहीं वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1942 में तत्कालिन ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने के फलस्वरूप उनको जेल में, कारावास में रखा गया। मैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को धैर्य प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री बलवीरसिंह विद्यार्थी वर्ग के कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने इस वर्ग में जो स्थान प्राप्त किया है, वह प्रशंसनीय है। आज वे अपने बीच में नहीं हैं। मैं सदन के नेता महोदय, सदन के सम्माननीय सदस्यों की ओर से, अपनी ओर से, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित, जैसा कि सदन के माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने बताया, इस सदन के, तृतीय विधान सभा के सदस्य रहे। ये 1945 में जयपुर नगर परिषद् के अध्यक्ष थे। उसके बाद में सीकर से इस विधान सभा के, तृतीय विधान सभा के, सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया है। उनका योगदान इस विधान सभा के लिए महत्वपूर्ण है और उसे याद रखा जायेगा। ये आज हमारे बीच में नहीं हैं। सदन के नेता महोदय और सदन के माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनमें अपने आप को सम्मिलित करता हूं। सदन की ओर से, अपनी ओर

(श्री उपाध्यक्ष)

से, इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इन दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें।

अब कृपया सभी दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनिट का मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री अजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला श्री गंगानगर में घग्घर डिप्रेशन्स में जलानुवेधन (वाटर लोगिंग) के कारण कास्त भूमि ऊसर होती जा रही है तथा पैदावार खराब होने का भी अन्देशा बढ़ रहा है, इस विषय में, तथा श्री रामानन्द अग्रवाल एवं श्री रतीराम यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर नगर में लड़कियों के साथ बलात्कार एवं अन्य घिनौनी हरकतों सम्बन्धी घटनाओं को लेकर दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी मांगी जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री अजीत सिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो घग्घर डिप्रेशन बनाया है, इससे राजस्थान कैनाल की समस्या उलझ गई है। वाटर लोगिंग हो रहा है। यह वहां की एक विशेष समस्या है। इसको समझना काफी आवश्यक है। वाटर लोगिंग की समस्या बढ़ी हुई होने के कारण से सारी जमीन खराब हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, डिप्रेशन पर राजस्थान नहर का पानी छोड़ा जाता है। राजस्थान कैनाल का पानी बारहों महीनों तक डिप्रेशन पर खुला रहता है। वह फालतू पानी है इससे राजस्थान कैनाल का नुकसान होने वाला है। करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार द्वारा खर्च किया गया है वह सब खराब हो जाएगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि इससे पहले भी करीब आठ दस विधान सभा के सदस्यों ने इस बारे में निवेदन किया है। यह एक गांव के डूब जाने की समस्या नहीं है। यह तो एक राष्ट्रीय समस्या है। राजस्थान सरकार ने 1962 में घग्घर कैनाल बनाई। इसका मतलब यह था कि 165 आर. डी. एम.—500 क्यूसेक पानी को 18 जिलों के लिए एकत्रित करना था। लेकिन अब राजस्थान कैनाल की सारी नहरें, शाखा नहरें, पेरेनियल नहरें, माइनर निर्मित हैं, इनसे जितना पानी राजस्थान को प्राप्त है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। लगातार वर्ष भर इन जिलों में पानी बढ़ता रहा है। तीन हजार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

की आबादी का एक गांव नष्ट हो गया है। दूसरा गांव रड़ोपल डूब गया है। तीसरा गांव डूब में आने वाला है। अन्य गांवों की गम्भीर हालत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान कैनाल के पानी का दुरुपयोग इस रूप में प्रकट हुआ है। इस प्रकार की विशिष्टता किरेशन में हुई है। इस बारे में आप चाहेंगे तो अन्य जानकारी प्राप्त करा सकेंगे। अभी तुरन्त आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर 10 फुट ऊंचा सैंडिल बना दिया गया है, 10 फुट ऊंचा होने के कारण किनारे तक पानी नहीं जाता है, वह 10 फीट ऊंचा सैंडिल निर्मित हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर फौरन ही उसको नहीं तोड़ा गया तो नहर में पानी नहीं जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं ? (श्री रतीराम यादव के खड़े होने पर)

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। अलवर के अन्दर गुण्डे लड़कियों से छेड़छाड़ करते रहते हैं। इस प्रकार से वह गुण्डागर्दी करते रहते हैं। एक घटना है जिसकी रिपोर्ट नीलम आनन्द के नाम से है। उसने अपनी माता के साथ में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिनांक 14-9-76 को यह दर्ज कराई है। उसने यह रोमांचिक कहानी लिखी है। जसराम और कमल नामक दो लड़कों ने उसके साथ में बलात्कार किया है। चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया है। राधेश्याम नाम का एक फोटोग्राफर भी उसमें शामिल है। उस दुराचार को करते हुए फोटो खींचे गये। उसने कोतवाली में यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस प्रकार का जो गिरोह है उसके सम्बन्ध में यह मांग की गई है कि उनको सख्त सजा दी जाये। इतना ही नहीं 15-9-76 को एक दूसरे वाकये की एक दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार किया गया है। उस रोमांचक रिपोर्ट में यहां तक बताया गया है कि उस लड़की के बच्चा भी है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, सारे मन्त्रिमण्डल के सदस्यों और सारे माननीय सदस्यों के समक्ष कि इस प्रकार की घटनाएं माननीय मुख्य मन्त्रीजी के राज्य काल में राजस्थान में हो रही हैं। जोधपुर व्यभिचार की घटनाओं को अभी हम भुला नहीं पाये हैं। फिर अलवर के अन्दर इस प्रकार की शर्मनाक घटना हुई। हमें दुबारा उस उदाहरण को दुहराना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि इस सारे काण्ड की जानकारी करके इस सदन के अन्दर रिपोर्ट रखी जानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई व्यक्ति हो हमारे सामने इस तरह की बात चरित्र की आई है। ऐसे काण्ड में बहुत बड़ा गिरोह शामिल है। 50 आदमी हैं, राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, उनसे सम्बन्धित चाहे वह खुद हों या उन्हीं के दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं, वह सब इसमें शामिल हैं।

(श्री रतीराम यादव)

इसीलिए इतने दिन हो गये हैं, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। केवल तीन गिरफ्तारी हुई हैं। दूसरी घटना जो 5-9-76 को दर्ज कराई है, उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, महसूस होता है, यह एक घिनौना काण्ड है। यह मानवता से परे काण्ड है। ऐसा सोचना भी नहीं है लेकिन इस काण्ड को दबाने का प्रयास किया जा रहा है यह मुझे पता लगा है, इसीलिए इस काण्ड के बारे में जिलाधीश, और एस. पी. हैं, शहर कोतवाल हैं, ये सब चुप्पी साधे बैठे हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके शासन काल में लगातार अबलाओं की लाज लुटती रहे, बलात्कार होते रहें, जब कि पिछले साल हम महिला वर्ष मना चुके हैं। अगले साल महिला दशक मनाने जा रहे हैं। जबकि राजस्थान में ऐसी वीरांगनाएं हुई है कि अगर किसी ने उनकी ओर

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

बुरी निगाह से देखा तो उसको तलवार के घाट उतारा गया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान मे इस प्रकार की घटनाएं होती रहें, आपकी जानकारी में नहीं आये, ऐसा नहीं मान सकते। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं और पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति चाहे वह राजस्थान के किसी भी कोने में हों जोधपुर में हों या अलवर में हों, इनको सख्त सजा दी जानी चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा का भारतीय जनसंघ व जनता मोर्चा से त्याग-पत्र

श्री उपाध्यक्ष: दल परिवर्तन के बारे में सूचना।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनसंघ दल से व जनता मोर्चा से त्याग-पत्र दे दिया है। अब श्री गुमानमल लोढ़ा, निर्दलीय सदस्य के रूप में सदन में बैठेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा): महोदय, मैं, राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्रों में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है अथवा राष्ट्रपति महोदय ने अनुमति रोक ली है:–

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1975

2. राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976

3. राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976

4. राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, 1976

(श्री सचिव)

5. राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता-समापन) विधेयक, 1976

6. राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976

7. राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976

8. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976

9. विद्युत् (प्रदाय) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1976

10. राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976

11. राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) विधेयक, 1973

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976

2. राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976

3. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1976

4. राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976

5. राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976

6. राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

7. राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976

8. राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976

9. राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976

(ग) वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय ने अनुमति रोक ली है

1. राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972

2. भारतीय विद्युत् (राजस्थान संशोधन, विधेयक, 1975

अध्यादेश

श्री उपाध्यक्ष : अध्यादेश माननीय राजस्व मंत्रीजी ।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :

1. राजस्थान टैनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1976)

2. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1976)

2. राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1976)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :–

1. राजस्थान देशीय चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1976)

2. राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1976)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, खादी एवं ग्रामोद्योग।

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1976) को सदन की मेज पर रखता हूं।

महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (2) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश) संख्या 6 सन् 1976) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : अधिसूचनाएं माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 8 (8) कार्मिक (क–2)/75, दिनांक 2 मार्च, 1976 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 में संशोधन किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 6 (6) कार्मिक (क–3)/74, दिनांक 9 मई, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 प्रकाशित किये गये हैं।

ये अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थी परन्तु संविधान के अनुच्छेद 320 (5) एवं राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 21 (3) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इनको राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुन: सदन की मेज पर रखा है।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 23(2) अपाइन्टस/ए–2/60–पार्ट फाइल दिनांक 5 मार्च, 1976 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत एण्ड लोकल बोडीज सर्बोडिनेट सर्विस कमीशन (सलेक्शन कमीशन्स कन्डीशन्स आफ सर्विस) रूल्स, 1960 में संशोधन किये गये हैं।

(4) अधिसूचना संख्या प. 6 (5) कार्मिक (क–3)/74 दिनांक 28 मार्च, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान लोकायुक्त

(श्री हरिदेव जोशी)

एवं उप-लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1974 प्रकाशित किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मन्त्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें 1 से 41 तक सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/75, दिनांक 7 अप्रेल, 1976

(2) अधिसूचना संख्या प. 4 (9) राज/उप/76, दिनांक 7 अप्रेल, 1976

(3) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/76, दिनांक 15 अप्रेल, 1976

(4) अधिसूचना संख्या प. 4 (9) राज/उप/76, दिनांक 15 अप्रेल, 1976

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) रेव/कोष/76, दिनांक 15 अप्रेल, 1976

(6) अधिसूचना संख्या प. 4 (2) राज/उप/76, दिनांक 15 अप्रेल, 1976

(7) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) राजस्व/उप/76, दिनांक 15 अप्रेल, 1976

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 18 (11) राज/उप/76, दिनांक 5 अप्रेल, 1976

(9) अधिसूचना संख्या प. 4 (2) राज/उप/76, दिनांक 15 अप्रेल, 1976

(10) अधिसूचना संख्या प. 4 (3) राजस्व/उप/74, दिनांक 6 मई, 1976

(11) अधिसूचना संख्या प. 4 (3) राज/उप/74, दिनांक 26 मई, 1976

(12) अधिसूचना संख्या प. 4(12) राज/उप/75, दिनांक 31 मई, 1976

(13) अधिसूचना संख्या प. 4 (6) राज/उप/76, दिनांक 16 जून, 1976

(14) अधिसूचना संख्या 21 (5) राज/उप/75, दिनांक 25 जून, 1976

(15) अधिसूचना संख्या 21 (6) राज/उप/75, दिनांक 26 जून, 1976

(16) अधिसूचना संख्या एफ. 18 (36) राज/उप/76, दिनांक 29 मई, 1976

(17) अधिसूचना संख्या प. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 15 मई, 1976

(18) अधिसूचना संख्या एफ. 24 (10) राज/उप/75, दिनांक 15 जून, 1976

(19) अधिसूचना संख्या 3 (अ) (109) राज/उप/70–111, दिनांक 6 जुलाई, 1976

(20) अधिसूचना संख्या एफ. 19 (27) राजस्व/उप/75, दिनांक 15 जुलाई, 1976

(21) अधिसूचना संख्या प. 18 (35) राज/उप/76, दिनांक 24 जुलाई, 1976

Page No 35

(35)

(श्री परसराम मदेरणा)

(22) अधिसूचना संख्या एफ. 8 (60)रेव/कोष/75, दिनांक 30 जुलाई, 1976

(23) अधिसूचना संख्या एफ. 18 (25) राज/उप/76, दिनांक 11 अगस्त, 1976

(24) अधिसूचना संख्या प. 3(36) राज/उप/76, (194/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(25) अधिसूचना संख्या प. 3(36) राज/उप/76 (195/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(26) अधिसूचना संख्या प. 3(36) राज/उप/76 (196/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(27) अधिसूचना संख्या प. 3(36) राज/उप/76 (197/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(28) अधिसूचना संख्या प. 3(36) राज/उप/76 (198/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(29) अधिसूचना संख्या प. 3(36) राज/उप/76 (199/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(30) अधिसूचना संख्या प. 3 (36) राज/उप/76 (200/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(31) अधिसूचना संख्या प. 3 (36) राज/उप/76 (201/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(32) अधिसूचना संख्या प. 3 (36) राज/उप/76 (202/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(33) अधिसूचना संख्या प. 3 (36) राज/उप/76 (203/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(34) अधिसूचना संख्या प. 3 (36) राज/उप/76 (204/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(35) अधिसूचना संख्या प. 3 (36) राज/उप/76 (205/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

(36) अधिसूचना संख्या प. 4 (19) राज/उप/76 (207/71-76) दिनांक 27 अगस्त, 1976

(37) अधिसूचना संख्या प. 4(19) राजस्व/उप/76 (208/71-76) दिनांक 27 अगस्त, 1976

(38) अधिसूचना संख्या प. 4 (19) राजस्व/उप/76 (209/71-76) दिनांक 27 अगस्त, 1976

(39) अधिसूचना संख्या प. 4(19) राजस्व/उप/76 210/71-76) दिनांक 27 अगस्त, 1976

(40) अधिसूचना संख्या प. 4(19) राजस्व/उप/76 (211/71-76) दिनांक 27 अगस्त, 1976

(41) अधिसूचना संख्या 4 (19) राज/उप/76 (212/71-76) दिनांक 25 अगस्त, 1976

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:–

(1) अधिसूचना संख्या प.5(108) वि.वि./वा.क. 71–18 (जी.एस.आर.-45) दिनांक 24 जून, 1976.

(2) अधिसूचना संख्या प. 4(42) वित्त/ग्रुप–4/76–(जी. एस.आर. 52) दिनांक 3 जुलाई, 1976.

(3) अधिसूचना संख्या प. 4(23) वि.वि./ग्रुप–4/76–20 (जी.एस.आर. 68) दिनांक 17 अगस्त, 1976.

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4(58) एफ.डी./ग्रुप–4/76–21 (जी.एस.आर. 83) दिनांक 28 अगस्त, 1976.

(5) अधिसूचना संख्या प. 6(28) वित्त/ग्रुप–4/75–4 दिनांक 24 मार्च, 1976.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परिवहन मन्त्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (परिवहन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ग्रुप–7) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :––

1. अधिसूचना संख्या प. 1(3)(6) परि/73 दिनांक 29 अगस्त, 1975.

2. अधिसूचना संख्या प. 9(7)गृह/ग्रुप–7/75 दिनांक 17 अप्रेल, 1976 एवं

3. अधिसूचना संख्या एफ. 11(26) गृह (ग्रुप–7) 75 दिनांक 17 मई, 1976.

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :––

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड जयपुर का पांचवा वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1973–74 के लेखे।

(2) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड जयपुर का छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1974-75 के लेखे।

(2) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 38 (3) एवं 39(7) के अन्तर्गत–

1. राजस्थान वित्त निगम जयपुर का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1975–76.

2. राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1975–76 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन।

(श्री हरिदेव जोशी)

(3) राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 की धारा 47(2) के अन्तर्गत राजस्थान आवासन बोर्ड वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखों का विवरण वर्ष 1974-75.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:--

(अ) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत--

(1) गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का 30 जून, 1975 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित लेखों एवं संचालकों का वार्षिक प्रतिवेदन 1974-75.

(2) राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड टोंक का 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखे एवं संचालक मंडल का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, तथा

(3) राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड टोंक का 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखे एवं संचालक मण्डल का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन।

(आ) विनियोग एवं वित्त लेखे:--

(1) राजस्थान राज्य के विनियोजन लेखे, 1974-75

(2) राजस्थान राज्य के वित्त लेखे 1974-75

(3) वर्ष 1974-75 के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)

(4) वर्ष 1974-75 के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां), एव

(5) वर्ष 1974-75 के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक).

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सिंचाई मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी (पंचायत मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय परिवहन मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी (परिवहन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन निगम, 1950 की धारा 31 (4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे एवं उन लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुदान की मांगों का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगों एवं अतिरेक मांगों के विवरणों का उपस्थापन। माननीय वित्त मंत्रीजी

श्री चन्दनमल बैद : वित्त मंत्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1976-77 के लिये अनुपूरक मांगों (प्रथम संकलन) और वर्ष 1971–72 के लिये अतिरेक मांगों के विवरणों का उपस्थापन करता हूं।

शासकीय वक्तव्य

कर्मचारियों के वेतनमानों की पुनः संरचना

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, तदर्थ वृद्धि का अधिकांश भाग एक अस्पष्ट चित्र सामने लाता है, कर्मचारियों के वेतनमानों की पुन: संरचना की आवश्यकता पिछले कुछ समय से राज्य सरकार के विचाराधीन रही है। जीवन-निर्वाह के सूचकांक के साथ जुड़े हुए महंगाई भत्ते की केन्द्रीय दरों के साथ बराबरी बनाये रखने के लिये विकास योजनाओं के लघु साधनों में से इस निमित्त व्यय करना राज्य सरकार के बूते के बाहर था। इसी बीच, हमारे प्रधान मन्त्री के प्रेरणास्पद नेतृत्व के अधीन मुद्रा स्फीती को रोकने के के लिए किये गये अत्यन्त प्रभावी उपायों के कारण कीमतें घटी हैं तथा उनमें स्थिरता आई है जिसकी समूचे विश्व में प्रशंसा की गई है। इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) के सभी घटकों को मिलाकर, 1-9-76 से कर्मचारियों से वेतनमानों को, जो इस तारीख को अनुज्ञेय थे, साथ ही साथ नये वेतनमानों में उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ देते हुए वेतनमानों को पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) करने का निश्चय किया गया है। पुनरीक्षित वेतनमानों के साथ कोई महंगाई भत्ता नहीं होगा। जीवन यापन के केन्द्रीय सूचकांक से संबद्ध महंगाई भत्ते का केन्द्रीय पेटर्न से राज्य के महंगाई भत्ते के पेटर्न को अलग करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों तथा मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के शिक्षकों को 1-9-76 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान दिये जायेंगे, किन्तु कोई महंगाई भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

2. राज्य के अधिकांश कर्मचारियों के कतिपय प्रवर्गों के पुनरीक्षित वेतनमान निम्न प्रकार हैं:–

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनका अभी वेतनमान 60–2–70–3–85 है, वह 240–3–270–4–290 तक जाएगा। पुलिस कांस्टेबल जो इस समय 70–3–94–4–110 तक के वेतन मान में है वह 250–4–270–6–300–8–340–10–360 तक जाएगा। कनिष्ठ लिपिक, पटवारी, अमीन, प्राईमरी स्कूल के शिक्षक, ड्राईवर आदि जो इस समय 110–5–160–8–200–10–230 वेतन मान में

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं वे 355–10–415–15–550–20–570 तक जायेंगे। विभिन्न विभागों में निरीक्षक ग्रेड II जिनमें भर्ती के स्तर पर साधारणतः स्नातक लिए जाते हैं, वर्तमान में 150–8–190–10–210–15–330 तक के वेतनमान में हैं उसको 440–10–490–20–770 तक का वेतनमान मिलेगा। प्रशिक्षित स्नातक, शिक्षक, पुलिस उप-निरीक्षक जिनका इस समय वेतनमान 160–8–200-10-240-15-360 है उनको 450–10–490–20–770 मिलेगा। विभिन्न विभागों में निरीक्षक ग्रेड I, ओवरसीयर जिनका इस समय वेतनमान 180–10–220–15–385–20–425 है उनको 470–10–490–20–830 वेतन मान मिलेगा। लेखाकार जिनको वेतनमान 200–15–350–20–450–25–525 मिलता है उनको 500–20–740–25–940 वेतनमान मिलेगा। वरिष्ठ अध्यापक, कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड I, सचिवालय के वरिष्ठ शीघ्रलिपिक जिनको इस समय वेतनमान 225–15–345–20–525 मिलता है उनको 550–20–710–25–1010 मिलेगा। तहसीलदार, सहायक लेखाधिकारी, सचिवालय के अनुभाग अधिकारी जिनका वेतनमान 275-20-375-25–650 मिलता है उनको 620–20–760–25–1010–30–1100 का वेतनमान मिलेगा। साधारण वेतनमान में राज्य सेवा अधिकारी, उदाहरणार्थ राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, कृषि सेवा, सिविल असिस्टेंट सर्जन, सहायक अभियन्ता, लेक्चरार जिनको वेतनमान 375–25–550–30–850 मिलता है उनको 750–30–1020–40–1300–50–1350 मिलेगा। राज्य सेवाओं का वरिष्ठ वेतन मान इस समय 700–40–1100–50–1200 है उनको 1150–50–1650 मिलेगा। राज्य सेवाओं के लिए इस समय चयन वेतनमान 1100–50–1200–60–1500 है उनको 1550–50–1650–60–1830–70–1900 मिलेगा। अधिक्षण अभियंता, संयुक्त निदेशक, कृषि जिनको इस समय 1300–60–1600 मिलता है उनको 1700–60–2000 मिलेगा। मुख्य अभियंता को इस समय 2000–100–2500 मिलता है उसको 2500) फिक्सड मिलेगा।

2.1. इन वेतनमानों को तैयार करते समय पिछले वेतन–पुनरीक्षण से उत्पन्न होने वाली विषमताओं के बारे में आई दिक्कतों पर भी सरकार ने विचार किया है तथा जहां आवश्यक समझा गया वहां विषमताओं (एनामेलीज) को दूर कर दिया गया है।

3. 1–9–76 को मिल रहे मूल वेतन पर मिल रहे सभी घटकों को मिलाकर कर्मचारी के वेतन में रु. 14) से 40) तक की रकम जोड़ दी जायगी तथा फिर उसका वेतन पुनरीक्षित–वेतनमान में ऊपर की स्टेज पर नियत किया जायगा। इसके पश्चात् उन कर्मचारियों को जिनका वेतन विद्यमान में रु. 1000) से कम है, 10 वर्ष की सेवा के लिए एक वेतन वृद्धि, बीस वर्ष की सेवा के लिए दो वेतन वृद्धि तथा तीस वर्ष की सेवा के लिए तीन वेतन वृद्धियां दी जावेंगी।

(श्री हरिदेव जोशी)

4. मकान किराया भत्ते की दरों में भी सुधार किया गया है और अधिक सरलता लाने की दृष्टि से विद्यमान पे स्लेब्स 14 से घटाकर 8 कर दिए गए हैं। वह सरकारी कर्मचारी जिसे इस समय किराया भत्ता 12.50 पैसे प्रति माह मिलता है उसको रु. 20) प्रति माह मिलेगा। वर्तमान में रु. 1000) से ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारी को उसके द्वारा चुकाये जाने वाले मकान किराये तथा वेतन के 10 प्रतिशत के अंतर के बराबर, उसके वेतन के साढ़े सात प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, मकान किराया भत्ता मिलता है। यह सीमा बढ़ाकर उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में नवीन वेतनमानों में जिनका वेतन रु. 1200) से ऊपर है; यह सीमा बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गई है।

5. जयपुर में पदस्थापित सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय नगर क्षतिपूर्ति भत्ते में वृद्धि की गई है, यथा–भत्ता वेतन भोगी कर्मचारियों को लाभ देने के लिए न्यूनतम राशि अब 5 के बजाय 6 रु. कर दी गई है, नगर क्षतिपूर्ति भत्ते के दिये जाने की सीमा बढ़ा दी गई है और अब इस सीमा में, नवीन वेतनमान में रु. 1250 तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी को भी यह भत्ता मिलेगा।

6. मेडिकल कालेज के शिक्षकों को विद्यमान नान–प्रेक्टिसिंग व नान-क्लिनिकल भत्ते की विद्यमान दरों में रु. 100 की वृद्धि की गई है अर्थात् ऐसा भत्ता रु. 400 प्रतिमाह की दर से अधिक किसी को नहीं मिलेगा।

7. उन चिकित्सा अधिकारियों को जिनको अब तक रु. 50 प्रतिमाह से कम वाहन भत्ता मिलता है उन्हें अब रु. 50 प्रतिमाह के हिसाब से वाहन भत्ता मिलेगा। अन्य मामलों में भी वाहन भत्तों की दरें अर्थात् रु. 50, रु. 75, रु. 100 प्रतिमाह से पुनरीक्षित करके क्रमशः रु. 75, रु. 100 और रु. 125 कर दी गई हैं।

8. मेडिकल कालेज के इन्टर्न, हाउस सर्जन, रजिस्ट्रार के स्टाईपेंड तथा मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट छात्रवृत्तियों की दरें रु. 300 रु. 360, रु. 420 व रु. 200 प्रतिमाह से बढ़ाकर क्रमशः रुपए 350, रु. 425, रु. 500 तथा रु. 250 प्रतिमाह कर दिया गया है।

9. राज्य बीमा सभी राज्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। कई ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मामले हुए हैं जिनमें राज्य कर्मचारी अपने परिवार के सम्बन्ध में योजनाओं को पूरी किए बिना ही सेवा में रहते हुए दिवंगत हो गए हैं।

ऐसे परिवारों को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने विनिश्चय किया है कि सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर कर्मचारियों का परिवार बीमाकृत राशि से दुगुनी राशि पाने को हकदार होगा। इसके लिए सभी कर्मचारियों को मौजूदा प्रीमियम की दरों से कुछ अधिक रकम अदा करनी होगी। विस्तृत स्कीम, एक्च्यूरियल (aoturial) संगणना के बाद तैयार की जायगी। इसी तरह, कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए मर

Page No 41

(५१)

(श्री हरिदेव जोशी)

जाता है जब कि उसने भवन निर्माण अग्रिम लिया हो, तो उसका परिवार या तो ग्रेच्युटी तथा बीमा की रकम में से अग्रिम की शेष राशि का भुगतान करे या मकान को बेचे, इसी दुविधा में रहता है। उन परिवारों को इन सब बातों से बचाने के लिए सरकार ने अग्रिम जोखिम निधि के प्रति, 40 पैसे प्रति सौ रुपये के एक लघु अंशदान की एक स्कीम प्रारम्भ की है, तथा यह निधि अग्रिम के असंदत्त बकाया रकम समायोजित करने के उपयोग में लायी जायेगी। अब इस अंशदान को कुछ बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है ताकि न केवल मूल रकम की बकाया राशि हो अपितु देय ब्याज भी समायोजित किया जा सके जो कि एक बहुत बड़ी रकम होगी यदि एक व्यक्ति अधिवार्षिकी (Superannuation) आयु प्राप्त करने के नजदीक मर जाता है। राजस्थान सरकार की यह स्कीम भारत भर में बेजोड है।

10. राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों तथा मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज के अध्यापन-कर्मचारियों के विद्यमान वेतन मान, जिनकी कि 1-9-76 से विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिये सिफारिश की है, पुनरीक्षित होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान में, शिक्षकों के वेतन नियत करने का तरीका निम्न प्रकार होगा :—

1-1-73 को अनुज्ञेय वेतन, महंगाई भत्ते तथा तदर्थ सहायता (एडहोक रिलीफ) के योग में 5 प्रतिशत वृद्धि की जायगी जो अधिक से अधिक रु. 50 होगी, और पुनरीक्षित वेतनमानों में नेशनल वेतन वृद्धि जो यदि ये वेतनमान 1-1-73 से प्रभाव में लाये गये होते तो 1-9-76 को अर्जित कर्ता, की 1-9-76 के हिसाब से संगणना की जायेगी। तत्पश्चात् उसका वेतन नवीन वेतन मान में इस प्रकार संगणित रकम से ऊपर की स्टेज पर नियत किया जायगा। उपर्युक्त वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कोई एरियर देय नहीं होगा।

पुनरीक्षित वेतन मानों में कोई महंगाई भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

11. राज्य के विश्वविद्यालयों में लेक्चरर के पद पर 1-9-76 या उसके पश्चात् जो नयी नियुक्तियां होंगी उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मानों के न्यूनतम से ऊपर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जायंगी यदि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकाधिक अपेक्षित अर्हताएं (qualifications) रखते हों।

12. विद्यमान में पेंशन प्राप्त करने वालों के पेंशन की रकम में 1-9-76 से निम्नलिखित दरों पर वृद्धियां अनुज्ञात की जायंगी :—

(i) रु. 100 से कम प्रति माह	रु. 20 प्रति माह
(ii) रु. 100 प्रतिमाह से अधिक किन्तु रु. 120 प्र. माह से कम	रु. 25 प्रति माह

(42)

(श्री हरिदेव जोशी)

(iii) रु. 120 प्रतिमाह से अधिक किन्तु रु. 210 प्रति माह से कम	रु. 30 प्रति माह
(iv) रु. 210 प्रति माह से अधिक किन्तु रु. 500 प्रति माह से कम	रु. 40 प्रति माह
(v) रु. 500 और उससे अधिक	रु. 50 प्रति माह

13. 1-9-76 से तुरन्त पूर्व पेंशनरों को मिलने वाली पेंशन और उसमें अस्थायी वृद्धि ऊपर वर्णित दरों पर पेंशन में वृद्धि के प्रयोजनार्थ पेंशन के रूप में मानी जायगी। पेंशन में उपर्युक्त वृद्धि से ऐसे पेंशनरों को जिन्हें अधिवार्षिकी (Superannuation) निवृत्ति वेतन (Retiring) इत्यादि जो अभी 40 रु. मिलता है, जो रु. 60 प्रति माह से कम पेंशन नहीं मिलेगी। यह वृद्धि उन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी जो 1-9-76 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं महंगाई भत्ते और उसके समस्त घटकों को मिलाने के पश्चात् वेतनमानों के पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप 1-9-76 को और उसके पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी के रूप में सेवा निवृत्त के बढ़े हुए फायदे मिलेंगे।

14. इस पर कुल वित्तीय दायित्व अनुमानतः 17.50 करोड़ प्रति वर्ष है, जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :-

(1) पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण	12.18 करोड़
(2) भत्तों यथा—मकान किराया भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, वाहन भत्ता तथा नोन-प्रेक्टिसिंग भत्ता में वृद्धि	0.26 करोड़
(3) 1-9-76 और उसके पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी में वृद्धि	0 86 करोड़
(4) मौजूदा पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि	1.45 करोड़
योग :	14 75 करोड़ अथवा 15.00 करोड़
(5) वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण पंचायत समितियों, सहायतार्थ अनुदान वाली शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदानों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त दायित्व	2.50 करोड़
योग :	17.50 करोड़

(श्री हरिदेव जोशी)

15 ये वेतनमान उन कार्य प्रभारित (Work Charge) कर्मचारियों को भी मिलेंगे जो वर्तमान में सरकारी वेतन मानों में वेतन पा रहे हैं। पंचायत समितियों और सरकार से सहायतानुदान पाने वाली संस्थाएं जिन्हें सरकारी दरों पर वेतन देना पड़ता है, सरकार अनुदान में वृद्धि करेगी यू. आई. टी. और म्युनिसिपल कर्मचारियों को भी नवीन वेतन मान से वेतन मिलें ऐसी सरकार की इच्छा है पर सम्बन्धित म्युनिसिपल बोर्ड को इसके लिए राज्य सरकार क्या अनुमान दे यह बाद में तय किया जायगा।

16. आय कर काटने के बाद राणावत वेतन मान जो 1-9-68 से लागू किये गये थे राज्य सरकार के वेतनमानों में अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात 1:15 था जो अब इन वेतनमानों के पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप घटा कर 1:9:4 हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। वापिस लिये जाने वाले विधेयक। श्री जुझारसिंह, प्रभारी मन्त्री।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। इस पर विचार करने के लिये सदन के माननीय सदस्यों को भी मौका दिया जाना चाहिये ताकि सदन के सदस्यों को भी इसका लाभ मिल सके।

श्री हरिदेव जोशी : यह बात बाद में तय कर लेंगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कि इसको कौन से दिन रखा जाय।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : और आगे क्या है? बहुत ज्यादा कर दिया है रूल्स से भी ज्यादा दे दिया है।

विधायी कार्य

वापिस लिया गया विधेयक

राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1974

श्री उपाध्यक्ष : वापिस लिये जाने वाले विधेयक। श्री जुझारसिंह, प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1974 को वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1974 को वापिस लेता हूं।

विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री उपाध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

राजस्व मन्त्री, श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

Page No 44

(४४)

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री।

राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1976) तथा राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1976) को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान विद्युत् (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विद्युत् (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

नेक्स्ट।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विद्युत्

(श्री चन्दनमल बैद)
(शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1976) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया विधेयक

राजस्थान भूमिगत जल (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1975

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाने वाला विधेयक। माननीय मंत्री महोदय।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान भूमिगत जल (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1975 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन इस सत्र के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में देगी।

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इसी सत्र में घोषित कर दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमिगत जल (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1975 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ?

Page No 46

(46)

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री **जुझारसिंह** (राज्य मंत्री, खनिज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विधेयक पुर:स्थापित हुआ।

नेक्स्ट।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

विधेयक पर विचार

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री **मूलचन्द मीणा** (राज्य मंत्री खादी ग्रामोद्योग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

और कोई बोलना चाहते हैं?

प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

माननीय मंत्री जी।

कोई संशोधन है क्या?

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय खण्ड (2) में है····

श्री उपाध्यक्ष : मूव कीजिये।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धारा 17 में प्रतिस्थापित की जाने वाली प्रस्तावित उप-धारा (2) के उप खण्ड (ख) में अभिव्यक्ति 'कार्यकारिणी समिति के' के स्थान पर अभिव्यक्ति कार्यकारिणी समिति के तथा उनकी अन्य समितियों के प्रतिस्थापित करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (2) पर जो संशोधन प्रभारी राज्य मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, मय संशोधन के स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड, 2 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 3।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि खण्ड (2) के पश्चात् निम्न नया खण्ड जोड़ा जाय :

(3) निरसन और व्यावृत्ति:— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1976) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के अधीन की गई कोई भी बात या कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के अधीन की गई समझी जाय।

यह इसमें और जोड़ा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो नया खण्ड 3 जोड़ने का प्रभारी राज्य मंत्री ने संशोधन प्रस्ताव रखा है इसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 1 में अभिव्यक्ति 'अधिनियम 1973' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'अधिनियम, 1976' प्रतिस्थापित की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 1 में जो संशोधन प्रभारी राज्य मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया !

खण्ड-1

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, मय संशोधन को स्वीकार किया जाय !

(स्वीकृत)

खण्ड 1, मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि अधिनियमन सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

अधिनियमन सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1973 को यथा संशोधित पारित किया जाय।

श्री अजीतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में भयंकर घोटाले हैं। आपने जो यह बिल पास किया है उससे इसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी। आप बराबर रियायतें देते रहते हैं। एक तो भयंकर घोटाले हैं और खादी बोर्ड डूबता जा रहा है दूसरी तरफ आप इसको रियायतें प्रदान करते जा रहे हैं। आप क्यों नहीं इस पर चैक लगाते हैं? टौंक में बड़ा भारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, उसका हाल यह है कि गतिविधि धीरे-धीरे बन्द होती जा रही है। मैंने कई बार निवेदन किया कि आप इस पर विचार करें और देखें। क्यों नहीं सरकार के अधिकारी बैठ कर उसके लिए कोई उचित व्यवस्था करते हैं? उसका घाटा बढ़ता जा रहा है और आज स्थिति यह है कि उसका दिवाला निकलता जा रहा है। कब फैसला करेंगे आप, श्रीमान्। इस बिल से कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसका दिवाला निकल जाता है तो सरकार को चाहिये कि उसको अपने अधिकार में लेकर अपना आदमी बैठायें और सारी व्यवस्था को ठीक करे। इस बिल से कोई फायदा नहीं है, बाद में आप सारी व्यवस्था करें, यह ठीक नहीं है। पांच लाख का घोटाला है, हमारे यहां। बड़े अच्छे ढंग से काम चल रहा था लेकिन जब से बोर्ड ने उसको लिया है उस पर ध्यान नहीं दिया है और धीरे-धीरे बोर्ड का दिवाला निकलता जा रहा है। जो कांग्रेस की भावना है और जो भावना थी गांधी जी की गांव गांव में खादी का विकास हो और गांव के लोगों को रोजगार मिले, वह समाप्त होती जा रही है। आजकल तो यह लूटा-खसोटी का धन्धा बन गया है और मेरी हालत में बोर्ड चल रहे हैं। जो गांव के लोगों को काम मिलता था वह भी बन्द हो गया है। मेरे टौंक जिले में पांच लाख आदमी इससे लाभान्वित होते थे लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि उनका सारा रोजगार बन्द हो गया है। उसके बावजूद भी आप दिन प्रतिदिन रियायतें देते जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास करने से कोई लाभ नहीं है...

(12.50 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

कोई ठीक व्यवस्था करें तब तो कुछ लाभ होने वाला है, अन्यथा नहीं।

श्री मूलचन्द मीणा : सभापति महोदय,....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की सारी लायबिलिटीज आज सरकार इस बिल के द्वारा अपने ऊपर लेना चाहती है। मैं समझता हूं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की लायबिलिटी काफी पेचीदा लायबिलिटी है। जिस प्रकार के गबन और घोटाले हुये है, जिस प्रकार प्रतिक्रियावादियों के अड्डे हैं, जिस प्रकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड चल रहा है यह सब इस सदन के गत वर्षों में काफी चर्चा का विषय रहा है। हालांकि अभी यह घोषणा जागृति समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी और अन्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी कि किसी

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भाग न ले लेकिन इसी घोषणा का एक कान्ट्रेडिक्शन भी प्रकाशित हुआ है कि खादी ग्रामोद्योग संस्थानों को पूरा अधिकार है कि उनमें काम करने वाले लोग और उनसे सम्बन्धित लोग किसी भी प्रकार की राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। मैं उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं और सदन के प्रांगण में कई बार आ चुकी हैं। यह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संस्थान किस प्रकार सक्रिय रहा है राजनीति में। यहां खादी बोर्ड के समर्थन में माननीय सदस्यों ने एक योजना प्रस्तुत की थी जब जय प्रकाश नारायण जी जयपुर पधारे थे उस समय खादी बोर्ड के सारे कार्यकर्ताओं को इस बात के लिये मजबूर किया गया था कि वे अपने खर्चे पर जयपुर में पधारें। जय प्रकाश जी को जगह-जगह पर थैलियां भेंट की गई थीं। आज मैं कहना चाहता हूं जो जय प्रकाश जी के सारे आन्दोलन में बहुत सक्रिय थे आज उसी रूप में खादी ग्रामोद्योग संस्थान में मौजूद हैं और उनमें से एक आध को छोड़कर किसी के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। एक आध को पकड़ लिया गया और पकड़ कर छोड़ भी दिया गया तो फिर उन्होंने दुबारा सक्रिय हिस्सा लिया इसके बावजूद राज्य सरकार नजरअन्दाज करती आ रही है।

आज 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में बुनकरों को विशेष रूप से सहायता देने का सूत्र है। उनके जीवन को सुधारने का है, उनके जीवन को ऊंचा उठाने का है। राजस्थान सरकार ने बुनकरों के सुधार के लिये एक बोर्ड की स्थापना भी की थी। इस सदन के माननीय सदस्य उसके अध्यक्ष हैं लेकिन इस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में जिस प्रकार का शोषण बुनकरों का होता रहा है वह बेमिसाल है। मैं समझता हूं इनकी हालत को सुधारने के लिये आवश्यक है कि इन बुनकरों को वास्तविक राहत देनी चाहिये और हमें सारे के सारे खादी बोर्ड की एन्क्वायरी सी. बी. आई. से करवानी चाहिये। कुचामन का मामला आपके सामने है, वह मैं सदन में प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सारा मैटर सब जुडिस है और उसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ढाई तीन लाख की चार्ज शीट दी है। पौने तीन लाख के गबन की एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करके भी उस गबन का चालान अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहा जाता है, वह बहुत जल्द प्रस्तुत होने वाला है कोई मामूली हस्ती नहीं है साबू साहब। बहुत ही कन्ट्रोवर्सियल फिगर हैं। चाहे बांसवाड़ा के परतापुर का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हो, चाहे भरतपुर का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हो, चाहे किसी बजाज साहब का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हो, सारे के सारे गबन और घोटाले के बहुत बड़े अड्डे बने हुए हैं। इन्होंने खादी कमीशन से सब्सिडी प्राप्त की है और उस सब्सिडी का यह हाल है। मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि परतापुर बांसवाड़ा के सारे के सारे खादी बोर्ड की जांच करें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 80 हजार रुपये के फर्जी बिल बनाये गये हैं। 71–72 की आडिट रिपोर्ट में इसका उल्लेख आया है। 72–73 की आडिट रिपोर्ट में है कि 75 हजार का

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

उत्पादन है वह गलत है और फर्जी है जो बोर्ड ने दिखाया है और इसको आडिट रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है। ये सारे घोटाले स्पष्ट रूप से सामने आते है। वाउचर संख्या 708 दिनांक 31–3–73 में 9400 रुपये गलत हस्ताक्षर से लिये गये हैं जिसकी चाहे आप इन्क्वायरी कर सकते हैं। 31–3–73 को नैनवा का 2 लाख 85 हजार बताया है, कहीं पर भी दर्ज नहीं है। सारे के सारे ग्रामोद्योग संस्थान को चैक करें तो कुछ तो ऐसे मामले हैं कि मौके पर चैक किया जाय तो कुछ है ही नहीं। सारे के सारे मेटर्स सदन में प्रस्तुत किये जायें तो काफी समय लगेगा। माननीय मंत्री महोदय चाहें तो मैं उनको दे सकता हूं। चाहे साबू साहब के मामले हों, बजाज साहब के मामले हों, चाहे जयपुर, भरतपुर के मामले हों, सारे मामले सारे राजस्थान में हुए हैं और उनमें जो गबन घोटाले हुए हैं उनका अन्दाज लगाया जाय तो कुछ लाखों मे नहीं, कुछ करोड़ों में गबन रुपयों का हुआ है। इसकी यदि विस्तृत रूप से इन्क्वायरी करायी जाय, जांच करायी जाय तो कि इन संस्थाओं ने किस प्रकार से राजस्थान के पैसे को खादी बोर्ड के अन्दर फर्जी कार्यवाही चला कर लूटा है, बहुत ही भयंकर तथ्य हैं। बुनकरों के नाम से बिल्डिंग बनवाते रहे लेकिन है कुछ नहीं। बांसवाड़ा में खादी बोर्ड के बारे मे ओथेन्टिसिटी के साथ कह सकता हूं कि जहां पर बिल्डिंग का निर्माण बताया गया है कागजों में लेकिन वहां पर कोई वास्तव में बिल्डिंग ही मौजूद नही है सारी को सारी लायबिलिटी उन भ्रष्ट संस्थानों पर हैं जो महात्मा गांधी के पुनीत आदर्शों के अनुसार स्थापित किये गये थे। वे आज देश के अन्दर बहुत बड़े भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं और वहां से प्रतिक्रियावादी शक्तियां संचालित होती हैं। वे क्यों गरीबों का उद्धार करेंगी, क्या उनको राहत प्रदान करेगी जिसके लिये देश के अन्दर जयघोष कर रहे हैं कि बुनकरों का उत्थान किया जाय। जिसने स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया, जिसने एक सूत्र मान कर कि खादी राष्ट्रीय चेतना का आधार है खादी को राष्ट्रीय चेतना का आधार बनाया आज उन बुनकरों के उत्थान के नाम पर ये संस्थायें भ्रष्टचार का अड्डा बनी हुई हैं और प्रतिक्रिया-वादियों के संचालन के अड्डे बनी हुई हैं इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि इन संस्थाओं को टेक ओवर करें तो सोच समझ कर करें। आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी खादी संस्थान है उन सब को भंग कर दिया जाय, उनकी सी. बी. आई. के द्वारा इन्क्वायरी करायी जाय। गरीबों के उत्थान के नाम पर पुनीत कर्तव्य के आधार पर इन बनी हुई संस्थानों की इन्क्वायरी करायी जाय। बजाज जैसे लोग हैं, बजाज स्कूटर का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के लोग किस प्रकार से इन संस्थानों में गबन घोटाले करते हैं। गिरधारीलाल साबू की सी. बी. आई. ने इन्क्वायरी की और ढाई लाख रुपये की लायबिलिटी प्रायद की और कोर्ट में उसका चालान पेश किया। इसलिये आप इस सम्बन्ध में बाकायदा इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करावें, इसकी आवश्यकता है

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

और चालान करने की जरूरत है और उनके हथकड़ियां डालने की जरूरत है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं इसी प्रकार, सभापति महोदय, जहां तक इन संस्थानों द्वारा आदिवासी छात्रावासों के नाम से एडवान्स लिये गये विशेषकर बांसवाड़ा का जिक्र कर रहा हूं, विशेष रूप से यह जिक्र करना चाहूंगा कि 50 हजार रुपये बिल्डिंग खाते फकीर मोहम्मद को दिये गये। 40 हजार का एडवान्स छात्रावास जोलान में भवन बनाने के लिये फ़कीर मोहम्मद साहब को दिये। इसी प्रकार 30 हजार रुपये फकीर मोहम्मद को सलान छात्रावास के नाम से दिये। मंत्री महोदय नोट कर लें। आदिवासी छात्रावासों के नाम से गांधी आश्रम परतापुर के लिये 30 हजार रुपये फकीर मोहम्मद को दिये। 20 हजार रुपये गांधी आश्रम के नाम से दिये गये। इसी प्रकार से 10 हजार रुपये गांधी आश्रम हिरनोदे के नाम से दिये गये, 9 हजार रुपये बांसवाड़ा प्रधान कार्यालय को देना बताया। चेलेन्ज के साथ सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि कोई छात्रावास जाकर आप तलाश कर लीजिये, सभापति महोदय, कोई नहीं है वहां। जब मैंने और अन्य लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, उनका अनुदान निर्धन और गरीब आदिवासी बच्चों के लिये मिला था, उस की जांच करने की कोशिश की तो पता चला कि कहीं ये छात्रावास नहीं है। यह राशि प्रतिक्रियावादी ताकतों के प्रसार के लिये, जयप्रकाश के आन्दोलन के लिये काम में लायी गई आदिवासी बच्चों के लिये दिये गये पैसों का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया इससे अधिक निकृष्ट हालत खादी ग्रामोद्योग बोर्डों की और क्या होगी। मैं फिर पूरी शक्ति के साथ कहूंगा कि इन सारे बोर्डों को भंग किया जाय इनका विघटन किया जाय और सी. बी. आई. से इन सब की इन्क्वायरी करायी जाय। करोड़ों रुपयों के जो गबन और घोटाले हैं उनको स्पष्ट रूप से सामने लाया जाय। जिन्होंने ने इसके विरुद्ध आवाज उठाने की चेष्टा की तो उनका वहां से तबादला कर दिया किसी को यहां से उठा कर बम्बई भेज दि•ा, आसाम भेज दिया।

उसके अतिरिक्त एक नयी संस्था खादी बोर्ड के द्वारा इन्स्टीट्यूट की गयी। जाने माने हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इन्क्वायरी करने गये, भरतपुर में गये और कोई कहीं गया, उनको आफिस तक नहीं पहुंचने दिया गया।

सभापति महोदय, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के घोटाले कोई मामूली घोटाले नहीं हैं। करोड़ों के घोटाले हैं और इतना ही नहीं खादी के नाम पर आज जो विधवायें हैं उनको ऐड दी जाती हैं, जो बुनवाई दी जाती है, कताई दी जाती है अगर सारे पहलुओं पर जांच करें–चाहे वह बीकानेर में हो, बीकानेर की बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वयन समिति में प्रश्न बहुत मजबूती से उठाया गया है कि आज बीकानेर की विधवायें जो सूत कातती हैं, जो विधवायें आज बुनाई करती हैं उनको आज के युग के अन्दर भी 50–60 पैसे दिये जाते हैं और रिकेटिंग होता है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी संस्थायें बनी हुई हैं जो कि बहुत कम पैसों में

Page No 52

(52)

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

कताई और बुनवाई गरीबों से करवाकर, विधवाओं से करवाकर लेती हैं और उसके बाद में उसको मनमाने रेट्स पर बेचती हैं। और आज बीकानेर की बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वयन समिति की रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की जाये और जो इस संबंध में सब-कमेटी बनी है उसकी जांच रिपोर्ट इस सदन के अन्दर रखी जाये तो जो खादी के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है जो विधवाओं और बेवाओं का शोषण हो रहा है उसका नग्न स्वरूप उभर कर सामने आ सकता है। सभापति महोदय केवल इतना ही नहीं अगर आप खादी की क्वालिटी को भी देखें तो सब जगह अडल्ट्रेशन बन्द हो गया है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो हमने नये सूत्र स्थापित किये हैं, जो देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गयी है उसके बाद मौत के सौदागरों को हमने एक प्रकार से समाप्त किया है और जो अडल्ट्रेशन हमारे खाद्य पदार्थों में हुआ करता था उसको हमने रोका है, उसको चैक-अप किया है लेकिन खादी के अन्दर आज भी अडल्ट्रेशन चल रहा है। आज भी अगर खादी में चैक-अप किया जाय, जगह जगह तो उसका स्टेन्डर्ड है, जो काउन्ट्स उसके हैं, जो डिग्री की खादी आज होनी चाहिए—मैं मंत्री महोदय को चेलेन्ज से कह सकता हूं कि आज उसके अन्दर अडल्ट्रेशन है और उसका वह स्टेन्डर्ड भी नहीं है। एक ओर तो खादी में बुनकरों का शोषण, सूत कातने वालों का शोषण और दूसरे प्रकार के शोषण खादी संस्थाओं के द्वारा दी जाने वाली सब्सीडीज का दुरुपयोग, सारे संस्थानों का दुरुपयोग और दूसरी तरफ स्वयं खादी के अन्दर अडल्ट्रेशन इससे गम्भीर और कोई बात नहीं हो सकती, और अधिक नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि सारी लाइबिलिटीज को हम लेने जा रहे हैं, आज सारे असेट्स को अपने कंधों पर वहन करना चाहते हैं और इसके सम्बन्ध में आपने जो अमेन्डमेन्ट्स इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किये हैं मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय यह कोई कम भार नहीं है। यह बहुत बड़ी पाप की गठरी उठाने जा रहे हैं और आप जांच कर लें कि इस गठरी के अन्दर क्या क्या है। इस गठरी के अन्दर समाज के चोर हैं इस गठरी के अन्दर देश के चोर हैं और इस गठरी के अन्दर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के राजस्थान के इतिहास के जो हमारे मुख्य सूत्र थे उनके ऊपर कुठाराघात करने वाले घातक लोग हैं और महात्मा गांधी के जिस पवित्र संदेश के बल पर मैनचेस्टर की मिल को चैलेन्ज किया था, उन सारे के सारे पवित्र सूत्रों के ऊपर कुठाराघात है। इसलिए मंत्री महोदय विचार करेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि इन सारी संस्थाओं को अन्दर करके सी.बी.आई. से जांच करवाने की राज्य सरकार वि करें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, खादी ग्रामोद्योग) : सभापति महोदय, अभी दोनों माननीय सदस्यों ने इस बात पर आक्षेप किया कि जितनी भी खादी संस्थायें हैं और जो काम कर रही हैं उनमें लाखों और करोड़ों का गबन और घोटाला है, गरीबों का शोषण है और यहां तक कहा गया कि

(श्री मूलचन्द मीणा)

मिलावट है । इनका आशय तो यहां तक हो सकता है कि वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रगति है उसके आंकड़ों को अगर आप देखें तो अनुमान लगायेंगे कि 1957 से लेकर आज तक इसमें कितनी प्रगति हुई है, कितने लोगों को रोजगार मिला है और जब आप आंकड़ों को देख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको यह सन्तोष हो जायेगा कि वह पूरी तरह से सही है और उसमें किसी प्रकार की मिलावट की या फर्जीपने की कोई बात नहीं है ।

अब एक ओर यदि गबन, घोटालों का सवाल है तो मैं यह सोचता हूं कि जब गबन घोटाले हैं तो इस प्रकार का उत्पादन और प्रगति नहीं हो सकती और सारा रिकार्ड और सारा काम फर्जी नहीं हो सकता। इसलिए माननीय सदस्य आप इस बात का पूरी तरह से अपने मन में अन्दाजा लगालें हो सकता है कि एक दो संस्थाओं में कहीं ऐसा होता हो लेकिन अनुमान समूचे क्षेत्र में ऐसा और होने लगे तो यह प्रगति कभी सम्भव नहीं हो सकेगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो प्रगति हमारे सामने है वह स्पष्ट कर रही है कि हम बराबर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य है । हम यह चाहते हैं कि हमारा स्वरूप सुधरे और जितने भी ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे देश के अन्दर हमेशा अराजकता फैलाते हैं या असामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं उन्हें हम कभी बख्सना नहीं चाहते और उनके खिलाफ हमेशा कार्यवाही करने के लिए कृत संकल्प हैं ।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछली बार जब यहां प्रश्न उठा था कि इन संस्थाओं द्वारा जे. पी. के आन्दोलन में चन्दा दिया गया उसकी भी जांच करवाई है लेकिन बोर्ड की ओर से ऐसी कोई बात नहीं मिलती है कि जिससे साबित हो कि उन्होंने जे. पी. को कोई चन्दा दिया है या समर्थन दिया है ।

सभापति महोदय, हमें जानना चाहिये कि हमारे राजस्थान की जितनी भी खादी ग्रामोद्योग संस्थायें हैं व अकेले बोर्ड की ही संस्थायें नहीं हैं• •

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह केस आपको पेश कर दूंगा । यह केस नं. 21 आफ 1971 है स्टेट वर्सेस रामप्रसाद साबू और दुर्गाप्रसाद साबू और इनके खिलाफ 2 लाख का मामला हैं । सी. बी. आई. की• •

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय को जवाब देने दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्क्वायरी के बाद यह केस सबमिट किया गया है । यह मेरा मेनुफेक्चरिंग नहीं है । सी. बी. आई. ने इन्क्वायरी की है और उसके बाद केस में चालान हुआ है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बोल चुके हैं ।

श्री मूलचन्द मीणा : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में

Page No 54

(६५)

(श्री मूलचन्द मीणा)

केवल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की संस्थायें ही काम नहीं कर रही हैं। उनमें फर्क है। एक संस्थायें तो वह हैं कि जो डाइरैक्ट कमीशन से सम्बन्धित हैं जिसका हैड ग्राफिस बम्बई में है जहां से वह कन्ट्रोल की जाती हैं और उनकी एजेन्सी और डाइरेक्टर्स सब जगह रहते हैं। दूसरी स्टेट बोर्ड की मार्फत संस्थायें कायम करती हैं, वह अलग हैं। इसलिए यह तो हमें फर्क करना पड़ेगा। कमिशन की संस्थाओं में कोई बात हो और उनकी जिम्मेदारी बोर्ड पर आ जाये और हम उससे कलंकित हो यह उचित नहीं होगा।

जहां तक हमारा संबंध है बोर्ड से संबंधित जितनी संस्थायें हैं उसी की हम चर्चा करना चाहते हैं और उसकी ही हम गारन्टी लेना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी विश्वास से कहना चाहता हूं कि इस गारन्टी का अर्थ यही है कि हमारी संस्थायें निष्पक्ष रूप से और उन्हीं विचारों जो कि पूज्य बापू के थे, के अनुरूप काम करेगी और जो हमारे गरीब मजदूर हैं उनकी रोटी रोजी उपलब्ध करायेगी। इसमें भी कहीं कहीं कमियां हो सकती हैं लेकिन वह सब एक्ट के तहत कन्ट्रोल की जाती है। हम चाहते हैं कि और इस प्रकार की कोई रूकावट डालने वाली बात संस्थाओं में पाई जायेगी तो आगे आने वाले समय में भी अमेन्डमेंटस किये जायेंगे जिससे राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण इन संस्थाओं पर रह सके और हमारी नीतियों को हम पूरी तरह से लागू कर सकें। लेकिन अभी जो मोटा फर्क है मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। विशेष रूप से आपने गरीबों के शोषण की बात कही और मिलावट की बात कही इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एक्सपर्ट खादी कमीशन में या खादी ग्रामोद्योग में मौजूद रहते हैं जो समय समय पर जाकर जांच करते हैं और उसमें कहीं ऐसी बात नजर आती है तो दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन शिकायत के रूप में अगर कोई शिकायत करता है, और शिकायत आती है परन्तु केवल शिकायत करने से और अदालत में चालान हो जाने से हम उसको दोषी नहीं मान सकते हैं जब तक कि अदालत में यह साबित न हो जावे। तभी जाकर उस पर निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। अजमेर का एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था जिसमें मिलावट का एक उदाहरण आया था लेकिन उसकी पूरी तरह से जांच हुई और जांच में यह पाया गया कि वह निर्दोष था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बात किसी रूप में हो, लेकिन उसका सही रूप हमारे सामने आवे, उसका सही स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट हो जाय, उसमें किस तरह की मिलावट है, किस तरह से क्या किया जा रहा है, यह सारा जब तक स्पष्ट न हो तब तक इन पहलुओं पर विचार नहीं कर सकेंगे और हम इन बातों का निर्णय नहीं कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों को रोजगार देना है जहां कि किसी प्रकार से रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। हमें यह गारन्टी नहीं है कि उनको मिनिमम वेज देंगे मिनिमम वेजेज एक अलग चीज है और खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना एक अलग चीज है। इसका एक निश्चित पेटर्न होता है और उसी के अनुसार कताई और बुनाई की दरें

(श्री मूलचन्द मीणा)

फिक्स करना पडती है। उसके ही अनुरूप सारा कार्य करना पड़ता है। आज जो मजदूरों की रेट्स है उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते है। हमें तो इसी पेटर्न के अनुसार चलना है। यह सारा माल इंडिया पेटर्न पर गवर्न होता है। उसी के अनुरूप प्राइसेज फिक्स अप होती हैं। जितना लेबर वेजेज इनका फिक्स किया जाता है उसमें कोई भी संशोधन हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते है इसलिए इसी अनुरूप में चलना पड़ेगा। इसके साथ ही अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर चार्जेज लगाये हैं कि आदिवासी छात्रावासों में इस प्रकार का चंदा मकान बनाने के लिए लिया गया है खादी बोर्ड की ओर से। मैं यहां पर सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि खादी बोर्ड की ओर से ऐसा कोई प्रावधान किन्हीं छात्रावासों को देने के लिए कभी नहीं है और न ही खादी बोर्ड की ओर से ऐसा कोई चंदा किन्हीं भवन निर्माण के लिए आदिवासी छात्रावासों को दिया गया है। यह मैं आपके सामने फेक्ट प्रस्तुत कर रहा हूं।

दूसरी बात यह बतलाई कि कितने ही ऐसे गरीब मजदूरों, कार्यकर्ताओं का मनमाने तरीके से तबादला किया जाता हैं और किसी का बम्बई या अन्य किसी स्थान पर नाराज होकर, प्रिजूडिस होकर ट्रान्सफर किया जाता है। इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक बोर्ड का सवाल है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से ऐसे किसी भी कर्मचारी के साथ ज्यादती नहीं की गई है। मैं चेलेन्ज पूर्वक निवेदन करुंगा कि हम हमेशा हर व्यक्ति की शिकायत पूरी तौर से सुनने की कोशिश करते हैं। हमारे पंड्या साहब इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने गरीबों को उठाने में अपने जीवन को खपाया है। वह भी इसकी कोशिश करते हैं कि किसी के साथ ज्यादती न हो। स्थानान्तरण उनका हो सकता है जो कमीशन के कर्मचारी हैं और कमीशन के द्वारा ही उनका तबादला कहीं पर हुआ हो। बाकी बम्बई, कलकत्ता से हमारा कोई वास्ता स्थानान्तरण का नहीं है और न कभी ऐसा किया है।

इस संशोधन की मंशा केवल यह है कि हम पूरी तरह से, जो भी पैसा कमीशन की मार्फत मिलता है, जिन संस्थाओं को देते हैं, वह पूरी तरह से काम में आवे और उन पर पूरा कन्ट्रोल राज्य सरकार का रहे। यह इसकी मंशा है और राज्य सरकार ने इसकी मंशा को समझ कर गत वर्ष इसको निश्चित कर उसके अनुरूप यह संशोधन प्रस्ताव को पेश किया है। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की राजनीति खादी ग्रामोद्योग की संस्थाओं में घुसी हुई है, उनमें ऐसे जो व्यक्ति मौजूद हैं उनका बहिष्कार किया जाय और उनको खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं में राजनीति की गंदगी को पैदा करने का मौका नहीं दिया जाये। इस समय के अन्दर जो कोई ऐसे उदाहरण आये हैं, उनके साथ सख्ती बरती गयी है और उनको सेवा से अलग कर दिया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक सदस्य जो हमारे बोर्ड में थे, जिनका कि इसी तरह का कार्य था, हमने हमारे बोर्ड से सस्पेंड किया है। इसी तरह से दूसरे जो भी इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं, उनकी उस गतिविधि पर रोक लगाई जावेगी। हम इस

(श्री मूलचन्द मीणा)

प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि खादी संस्थाओं को राजनैतिक अखाड़ा बना लिया जाये और गरीबों को रोटी, रोजी देने के बजाय धन का वहां पर दुरुपयोग वे करें। हमारी मंशा यह है कि इसका सही उपयोग हो और यह तभी संभव है जब इन संस्थाओं पर पूरी तरह से नियन्त्रण किया जाये और यह नियन्त्रण तभी हो सकता है जब जो संस्थाओं को राशि दी जाती है बोर्ड को ओर से, उस राशि की गारंटी सरकार दे ताकि उस राशि के उपयोग पर नियन्त्रण संभव हो सकेगा। मैं समझता हूं कि इस संशोधन से हमारा यह कार्य पूरा होगा। हमारा सीधा नियन्त्रण संस्थाओं पर होगा और पूरी तरह की देख रेख राज्य सरकार की होगी और जो खामियां हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं।

इन्हीं बातों के साथ में आपने जो इस तरह का मार्गदर्शन दिया है, गबन, घोटाले, मिलावट, शोषण का, तो इस बात की पूरी जानकारी की जाएगी और उसमें किसी तरह की गलती पाई जावेगी तो दूर करने का हमारी ओर से पूरा प्रयत्न किया जाएगा लेकिन मोटा अन्तर यह रहेगा कि जो आज की सरकारी रेट है मजदूरी की वह हम कभी नहीं दे पाएंगे और न दे सकते हैं। हमारा इन लोगों से मजबूरन काम कराने का उद्देश्य नहीं है। वे इसके लिए बाध्य नहीं है। वे चाहें तो दूसरा काम कर सकते हैं। खादी संस्थाओं में जो काम करते हैं, उनमें ऐसे आदमी अधिक होते हैं जिनको कि कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा है या किसी काम में दक्ष हैं और उनको यह काम पसन्द होता है या जो पुश्तैनी तौर पर यह काम करते चले आ रहे हैं। हम उसमें रुकावट नहीं डालते हैं और यह काम उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। हम चाहते हैं कि उनको बराबर काम मिले और उनका शोषण न हो। इसीलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

इस संदर्भ में हमारा खादी और ग्रामोद्योग का जो उत्पादन बढ़ा है, उसके आंकड़े मैं यहां पर प्रस्तुत करूं तो आपको अन्दाजा होगा कि यह काम इन मजदूरों ने किया है, इन बुनकरों ने किया है और तब जाकर यह प्रगति हुई है। खादी का उत्पादन वर्ष 57–58 में 80 लाख रुपये का था और आज वह 650 लाख रुपयों का है। इसी प्रकार ग्रामोद्योगों का उत्पादन इस वर्ष में जहां पहले 40 लाख का था, वह आज 577.34 लाख रुपयों का हो गया है। इस तरह से जितना रोजगार हम पहले देते थे वह रोजगार बढ़ कर लाख तक पहुंच गया है और हम आगे आने वाले पांच वर्षों में इस रोजगार को दो लाख तक पहुंचाने की आशा करते हैं। इस तरह से राजस्थान में इन कामों का स्कोप है। इन मजदूरों द्वारा ही यह कराया जा सकता है क्योंकि राजस्थान में उनका प्रोडक्शन पूरे हिन्दुस्तान के प्रोडक्शन का 50 परसेंट है, इसलिए इसका भी विशेष प्रबन्ध किया जा रहा है और जो हमारा उत्पादन 8 करोड़ रुपये का है वह हम बढ़ा कर 10 करोड़ का करना चाहते हैं खादी ग्रामोद्योग के सेक्टर में। आप अन्दाजा लगावें। हमारी कितनी ही ऐसी योजनाएं हैं इन गरीब मजदूरों को

(श्री मूलचन्द मीणा)

रोटी, रोजी उपलब्ध कराने के लिए। इस संशोधन का यह मकसद है कि गरीबों को रोटी-रोजी मिले, उनका शोषण न हो, इसमें कोई मिलावट न हो और दूसरे इसका दुरुपयोग न करें—और यह कतई संभव न हो और न किसी मंशा से ऐसा करने दिया जायेगा। तो अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ में यह प्रार्थना करता हूं कि इसको पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1973 को यथा संशोधित पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक यथा संशोधित पारित किया गया।

माननीय वित्त मन्त्री जी।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री सभापति : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : विचारार्थ····

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह : माननीय सभापति महोदय, यह भू राजस्व···

श्री परसराम मदेरणा : यह काश्तकारी कानून है। भू-राजस्व वाला तो पारित हो गया है।

श्री सभापति : आपका इसमें कुछ नहीं है।

Page No 58

(५८)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 4 अक्टूबर, 1976 के मध्याह्न पश्चात् 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 1.33 बजे सोमवार दिनांक 4 अक्टूबर, 1976 के मध्याह्न पश्चात् 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

Page No 59

(59)

परिशिष्ट–1 क

(तारांकित प्रश्न सं. 2 की सूची)

थोक विक्रेता को खर्चे हेतु दी गई राशि के बदले में उनके द्वारा किए जाने वाले व्यय एवं सेवा का विवरण निम्न रूपेण है :—

(प्रति क्विन्टल)

विवरण	राजस्थान क्रय विक्रय संघ के व्यय	राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ की इकाईयों (समितियों) के व्यय
1. रैल्वे से गोदाम तक का किराया एवं लोडिंग व अनलोडिंग खर्चा	—	1.00
2. ब्याज	0.40	2.60
3. बैंक कमीशन	0.10	0.45
4. प्रशासनिक व्यय	0.50	1.25
5. गोदाम किराया	—	0.20
6. छीजी	—	0.50
	1.00	6.00

कुल 7.00 रु. प्रति क्विन्टल।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न सं. 3 की सूची)

जिसके द्वारा अवधि बढ़ाई गई है 1	अवधि बढ़ाई गई 2	3
1. अधिसूचना संख्या 9524 दिनांक 31-8-67 " " 9525 दिनांक 31-8-67 " " 9526 दिनांक 31-8-67	पंचायत 20-1-69 पंचायत समिति 7-2-69 जिला परिषद् 25-2-69	राज्य में अकाल की स्थिति गम्भीर हो जाने के कारण जनवरी, 1968 में ग्राम चुनाव नहीं करवाये जा सके। एवं अवधि जनवरी, 1969 तक बढ़ाई गई।
2. राजस्थान पंचायत विधियां संशोधन अधिनियम, 1969 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1969) से धाराएं 7, 14, तथा 46 संशोधित (मौजूदा 3 साल के मूल कार्यकाल को 5 साल कर दिया गया)	समस्त पंचायत राज संस्थाओं का मूल कार्यकाल 3 साल से 5 साल कर दिया गया। अर्थात् उक्त संस्थाओं का मूल कार्यकाल 20/1/70, 7/2/70 व 25-2-70 तक बढ़ गया।	मितव्ययता के दृष्टिकोण से मौजूदा तीन साल का साधारण कार्यकाल 5 साल यानि जनवरी, 1970 तक बढ़ा दिया गया।
अधिसूचना संख्या 10536 व 50 दिनांक 12-12-69 व 5-1-70 अधिसूचना संख्या 10537 व 51 दिनांक 12-12-69 व 5-1-70 अधिसूचना संख्या 10538	पंचायत 20-1-71 पंचायत समिति 7-2-71 जिला परिषद् 25-2-71	भारत के संविधान के 23 वें संशोधन विधेयक के रेक्टिफिकेशन हेतु विधान सभा का सत्र आकस्मिक परिस्थितियों में जनवरी, 1970 में

व 52 दिनांक 12–12–69 व 5-1-70		आह्वान किया जाने के कारण पंचायत ग्राम चुनाव जनवरी, 1970 में नहीं कराये गये एवं अवधि जनवरी, 1971 तक बढ़ाई गई।
3. राजस्थान पंचातय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1971 (अधिनियम सं. 3 सन् 1971) उक्त अधिनियम द्वारा 7, 14, व 46 धाराओं में संशोधन कर समस्त पंचायत राज संस्थाओं में मौजूदा कार्यकाल एक साल बढाये जाने की शक्ति को तीन साल कर दिया गया) तीन अधिसूचना संख्या एफ. 4(एल.जे.) ए/5/70, दिनांक 16–1–71	पंचायत 20–1–72 पंचायत समिति 7–2–72 जिला परिषद् 25–2–72	लोक सेवा ग्राम चुनाव, 1971 में ही सम्पन्न कराने के। साथ साथ जनगणना भी इसी साल करानी थी अतः पंचायत ग्राम चुनाव, 1971 में नहीं कराये जा सके व अवधि जनवरी, 1972 तक बढ़ानी पड़ी।
तीन अधिसूचनाएं संख्या एफ. 4 (एल. जे.) ए. ए/71/104, 105 व 106 दिनांक 13–1–72।	पंचायत 20–1–73 पंचायत समिति 7–2–73 जिला परिषद् 25–2–73	राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के आकार व प्रक्रिया के अध्ययन हेतु कमेटी नियुक्त करदी। उसको रिपोर्ट न आने कारण तथा

1	2	3
		विधान सभा ग्राम चुनाव के कारण जनवरी, 1972 में पंचायत ग्राम चुनाव नहीं कराये जा सके। अतः अवधि जनवरी, 1973 तक बढ़ाई। ग्राम चुनाव सन् 1973 में कराने थे पर अकाल की स्थिति होने के कारण नहीं कराये जा सके। अतः एक साल की अवधि जनवरी, 1974 तक के लिए बढ़ाई गई।
4. अधिनियम संख्या 1/73(उक्त अधिनियम द्वारा 7, 14 व 46 धाराओं में संशोधन कर समस्त पंचायत राज संस्थाओं के मौजूदा कार्यकाल 3 वर्ष बढाये जाने की शक्ति को 4 साल कर दिया गया) तीन अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल. जे/ 4-3-71/92, 93 व 94 दिनांक 18-1-73	पंचायत 20-1-74 पंचायत समिति 7-2-74 जिला परिषद् 25-2-74	
5. अधिनियम संख्या 9/74 उक्त अधिनियम द्वारा 7, 14 तथा 46 धाराओं के परन्तुक में संशोधन कर समस्त पंचायत राज संस्थाओं के कार्यकाल 4 साल बढ़ाये जाने की शक्ति को 5 वर्ष अथवा चुनाव कराये जाने तक जो भी पूर्वतर हो किये जाने का प्रावधान किया गया।		

6.	तीन अधिसूचनाएं संख्या 314, 315 व 316 दिनांक 19-1-74	पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद्	30-1-75 7-2-75 15-2-75	जनगणना के आधार पर पंचायतों के सदस्यों की संख्या का पुन-निर्धारण कानूनानुसार आवश्यक हो गया था जिसके कारण चुनाव जनवरी, 1974 तक करना संभव नहीं था अतः कार्यकाल जनवरी, 1975 तक बढ़ाया गया। 1974 में पंचायत चुनाव कराये जाने की तैयारियां की गई किन्तु विधान सभा के तीन रिक्त स्थानों के उप चुनाव एवं महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव के कारण पंचायत आम चुनाव स्थगित रखने पड़े।
7.	अध्यादेश 3/75 दिनांक 18-1-75 उक्त अध्यादेश द्वारा 7, 14 व 46 धाराओं में संशोधन कर समस्त पंचायत-राज संस्थाओं के मौजूदा कार्यकाल दिनांक 31-12-77 तक बढ़ाई गई। उक्त अध्यादेश, दिनांक 7-3-75 को राजस्थान पंचायती राज संस्था (अवधि विस्तारण) अधिनियम, 1975 की धारा 3 द्वारा निरस्त कर दिया गया व	पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद्	31-12-77 31-12-77 31-12-77	मौजूदा पंचायत संस्थाओं की अवधि 31 दिसम्बर, 1977 या किसी ऐसी पूर्ववर्ती तारीख तक जैसा राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें बढ़ाई जायेगी और बढ़ाई गई समझी जायेगी।

(63)

1	2	3
मौजूदा पंचायत संस्थाओं की अवधि 31 दिसम्बर, 1977 तक या किसी ऐसी पूर्ववर्ती तारीख तक जैसा राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें. बढ़ाई जायेगी और बढ़ाई गई समझी जायेगी। तीन अधिसूचना संख्या 48,50 एवं 49 दिनांक 20–1–75।		

परिशिष्ट-3

(क)

(तारांकित प्रश्न 9 की सूची)

प्रमुख क्षेत्रों में माथाभार द्वारा लकड़ी निकासी सम्बन्धी व्यवस्था

(1) राज-पत्र दिनांक 24 नवम्बर, 1955 के अन्तर्गत क्षेत्र

(वन मण्डल उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बून्दी, बारां, झालावाड एवं टोंक)

(7) जलाऊ लकड़ी :—मरी, सूखी और गिरी पड़ी जलाऊ लकड़ी माथाभार या घीसावन मुफ्त ला सकेंगे। किन्तु किसी व्यक्ति को सम्बन्धित रेंज आफीसर से परमिट प्राप्त किये बिना खड़े दरख्तों को काटने की इजाजत नहीं होगी।

(2) बून्दी जिला

सहायक सचिव, राजस्व (ग्रुप-8) के आदेश संख्या प. 7 (163) रा.क./71 दिनांक 7-10-72 के अन्तर्गत बूंदी जिले में मोली मजदूर द्वारा जो लकड़ियां जंगल से लाई जाती हैं उनसे वर्षा ऋतु में क्लोज सीजन में प्रति गट्ठा 1 रु. वसूल किया जावे तथा बाकी समय के लिये 50 पैसे प्रति गट्ठा वसूल कर लकड़ियां लाने दी जावे।

---

(66)

सूची (ख)

बूंदी नगर में भागवार से आय का विवरण

मोली पट्टा की दैनिक आमदनी 1–6–76 से 30–6–76 तक रेंज बूंदी

दिनांक	तादाद गड्ढा	रेट	रकम
	2	3	4
1–6–76	82	50 न.पै. प्रति गड्ढा	41–00
2–6–76	75	,,	27–50
3–6–76	84	,,	42–00
4–6–76	82	,,	11–60
5–6–76	92	,,	16–00
6–6–76	रविवारीय अवकाश		
7–6–76	74	,,	37–00
8–6–76	52	,,	26–00
9–6–76	70	,,	25–00
10–6–76	92	,,	46–00
11–6–76	99	,,	49–00
12–6–76	74	,,	37–00
13–6–76	रविवारीय अवकाश		
14–6–76	85	,,	41–00
15–6–76	98	,,	49–00
16–6–76	80	,,	80–00
17–6–76	90	,,	90–09
18–6–76	85	,,	85–00
19–6–76	72	,,	72–00
20–6–76	रविवारीय अवकाश		
21–6–76	75	,,	58–00
22–6–76	79	,,	79–00
23– –76	76	,,	76–00
24–6–76	59	,,	59–00
25–6–76	57	,,	57–00
26–6–76	70	,,	70–00

1	2	3	4
27–6–76	रविवारीय अवकाश	50 न. पै.	
28–6–76	61	प्रति गड्ढा	61–00
29–6–76	64	,,	64–00
30–6–76	78	,,	78–00
	योग:– 1991		1461–00

मोली पट्टा को दैनिक आमदनी माह जुलाई, 1976

दिनांक	तादाद पट्टा	रेट	रकम
		1–00	
1–7–76	60	प्रति गड्ढा	60–00
2–7–76	96	,,	60–00
3–7–76	102	,,	105–00
4–7–76	रविवारीय अवकाश		
5–7–76	111	,,	111–00
6–7–76	100	,,	100–00
7–7–76	107	,,	107–00
8–7–76	60	,,	60–00
9–7–76	84	,,	85–00
10–7–76	106	,,	106–00
11–7–76	रविवारीय अवकाश		
12–7–76	82	,,	82–00
13–7–76	41	,,	41–00
14–7–76	21	,,	21–00
15–7–76	72	,,	72–00
16–7–76	75	,,	75–00
17–7–76	81	,,	85–00
18–7–76	रविवारीय अवकाश		
19–7–76	36	,,	36–00
20–7–76	89	,,	89–00
21–7–76	60	,,	60–00
22–7–76	64	,,	64–00

1	2	3	4
23-7-76	69	रु. 1.00 प्रति गड्ढा	69-00
24-7-76	120	,,	268-00
25-7-76	रविवारीय अवकाश		
26-7-76	50	,,	50-00
27-7-76	2	,,	2-00
28-7-76	71	,,	71-00
29-7-76	101	,,	101-00
30-7-76	90	,,	94-00
31-7-76	61	,,	61-00
			योग 1035-00

दैनिक आमदनी मोली पट्टा माह अगस्त, 1976

दिनांक	तादाद पट्टा	रेट	रकम
1	2	3	4
1-8-76	रविवारीय अवकाश	1-00	
2-8-76	71	प्रति गड्ढा	71-00
3-8-76	16	,,	16-00
4-8-76	97	,,	97-00
5-8-76	75	,,	75-00
6-8-76	10	,,	10-00
7-8-76	82	,,	82-00
8-8-76	रविवारीय अवकाश		
9-8-76	11	,,	11-00
10-8-76	55	,,	55-00
11-8-76	39	,,	39-00
12-8-76	40	,,	40-00
13-8-76	19	,,	19-00
14-8-76	1	,,	1-00
15-8-76	रविवारीय अवकाश		

1	2	3	4
16-8-76	3	रु. 1.00 प्रति गड्ढा	3-00
17-8-76	11	,,	11-00
18-8-76	40	,,	40-00
19-8-76	51	,,	51-00
20-8-76	53	,,	53-00
21-8-76	77	,,	77-00
22-8-76	रविवारीय अवकाश		
23-8-76	60	,,	60-00
24-8-76	9	,,	9-00
25-8-76	96	,,	96-00
26-8-76	60	,,	60-00
27-8-76	106	,,	106-00
28-8-76	83	,,	83-00
29-8-76	रविवारीय अवकाश		
30-8-76	70	,,	70-00
31-8-76	95	,,	65-00

योग : 1367-00

Page No 70

(70)

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न सं 17 की सूची)

मानचित्र राजस्व मुकदमात जो उप जिलाधीश, दौसा के अधिकार क्षेत्र में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के भिन्न–भिन्न अदालतों में विचाराधीन है।

क्र. सं.	किस्म मुकदमात	नाम न्यायालय जिसमें मुकदमात विचाराधीन हैं					
		परगना अधिकारी दौसा	सहायक कलेक्टर बांदीकुई	तहसील-दार दौसा	तहसील दार सिकराय	तहसील-दार लालसोट	तहसील-दार बसवा
1.	दावेजात	462	260	–	–	–	–
2.	कानूनी प्रार्थना-पत्र	161	100	–	–	–	–
3.	इजरा डिग्री	9	–	–	–	–	–
4.	मुतफर्रिक	44	45	–	–	–	–
5.	अपील	85	–	–	–	–	–
6.	जेर दफा 91 लैण्ड एक्ट	–	–	454	828	2346	2113
	योग:—	761	405	454	828	2346	2113

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न स. 19 की सूची)

सूची पटवार प्रशिक्षण चयन हेतु उम्मीदवारों की जिनको 31–7–76 को आमंत्रित किया गया । समय:–10.00 बजे प्रातः.

क्र.सं.	रोल नम्बर	नाम उम्मीदवार	शैक्षणिक योग्यता
1.	16	श्री बेणी प्रसाद पुत्र रामजी लाल	मूल आवेदन-पत्र पटवार प्रशिक्षण विद्यालय को भेजा हुआ है ।
2.	26	श्री रामगोपाल पुत्र रामस्वरूप	बी.एस.सी. (हाईस्कूल)
3.	53	श्री मोहनसिंह पुत्र अमृतलाल	बी.ए.
4.	105	श्री किशोरी लाल पुत्र खैराती	सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
5.	153	श्री सुवालाल पुत्र बहादुर	एम.ए.
6.	187	श्री रघुनन्दन पुत्र रामजीलाल	सेकेण्डरी
7.	165	श्री विष्णुदत्त पुत्र रामस्वरूप	प्रथम वर्ष टी.डी.सी.
8.	178	श्री अब्दुलरहीम पुत्र सुजाखां	बी.ए.
9	195	श्री कैलाशचन्द पुत्र शिव प्रसाद	बी.एस.सी.
10.	204	श्री प्रभूदयाल पुत्र प्रेमा राम	द्वितीय वर्ष कला
11.	208	श्री सूरजभान पुत्र चन्दगी राम	उपरोक्त
12.	220	श्री रामावतार पुत्र कुन्दनलाल	बी.ए.
13.	246	श्री शिवनारायण पुत्र शम्भूदयाल	पी.यू.सी.
14.	265	श्री राधेश्याम पुत्र श्री राम शर्मा	बी.एस.सी.
15.	266	श्री सोमनाथ पुत्र बाबू लाल	सैकेण्डरी
16.	317	श्री कमलेशचन्द्र पुत्र रामजीलाल	हा. सैकण्डरी
17.	338	श्री वासुदेव पुत्र प्यारसीलाल	प्रथम वर्ष टी.डी.सी.
18.	340	श्री उमाशंकर पुत्र हीरालाल	बी.एस.सी.
19.	354	श्री बाबूलाल पुत्र मोतीलाल	टी.डी.सी. सैकिण्ड ईयर
20.	369	श्री गिलोर सिंह पुत्र मन्द्रू सिंह	टी.डी.सी.प्रथम वर्ष
21.	376	श्री परसराम शर्मा	हा.सैकेण्डरी
22.	386	श्री गरीब राम पुत्र हरलाल	बी.ए.
23.	432	श्री रतीराम पुत्र सूरतसिंह	मूल आवेदन–पत्र पटवार प्रशिक्षण विद्यालय को भेजा हुआ है ।
24.	445	श्री रामनिवास पुत्र घीसाराम	उपरोक्त
25.	447	श्री भगवत दयाल पुत्र छीतरमल शर्मा	बी. ए.

Page No 72

(72)

1	2	3	4
26.	463	श्री कमल प्रकाश पुत्र शिवनारायण	एम. ए.
27.	464	श्री दिनेश चन्द्र पुत्र जगन्नाथ	टी. डी. सी. प्रथम वर्ष
28.	489	श्री कमलेश पुत्र द्वारका प्रसाद	टी. डी. सी. द्वितीय वर्ष
29.	498	श्री भोलाराम पुत्र दीचन्द	हा. सैकण्ड्री
30.	499	श्री प्रेमचन्द पुत्र रैवडमज	उपरोक्त
31.	522	श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र मूलचन्द	बी. काम.
32.	523	श्री रविकान्त पुत्र राधारमन	मूल आवेदन-पत्र पटवार प्रशिक्षण विद्यालय को भेजा हुआ है।
33.	533	श्री शम्भूदयाल पुत्र श्याम लाल	बी. ए.
34.	563	श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्रीनारायण	हा. सेकण्डरी
35.	590	श्री गुमानसिंह	उपरोक्त
36.	594	श्री मामन चन्द पुत्र मदनलाल	बी. एस. सी.
37.	603	श्री दुर्गाप्रसाद पुत्र लोकनाथ	हा. सेकण्डरी
38.	624	श्री योगेश चन्द पुत्र श्रवणलाल	सेकिण्ड ईयर टी. डी. सी.
40.	685	श्री ओमप्रकाश पुत्र मगनलाल	सेकण्डरी
अनुसूचित जाति			
1.	52	श्री सीताराम पुत्र पेमाराम	सैकण्डरी
2.	95	श्री बृजलाल पुत्र हरलाल	दसवी पास
3.	98	श्री किशन लाल पुत्र भौरेलाल	मूल आवेदन-पत्र पटवार प्रशिक्षण शाला टोंक को भेजा हुआ है।
4.	131	श्री जल सिंह पुत्र हरचन्द	उपरोक्त
5.	336	श्री हजारी लाल पुत्र नानगराम	बी. ए.
6.	497	श्री रामकिशन पुत्र मदनलाल	हा. सेकण्डरी
7.	537	श्री रामेश्वर दयाल पुत्र चांद सिंह	सेकण्डरी
8.	551	श्री रमेश चन्द पुत्र मूर्लाराम	हा. सेकण्डरी
9.	580	श्री मदन लाल पुत्र रामकुमार	उपरोक्त
10.	724	श्री भोमाराम पुत्र किशन लाल	सैकण्डरी
अनुसूचित जनजाति			
1.	54	श्री मोती लाल मीणा पुत्र मुगनाराम	एम. ए.
2.	172	श्री भोलाराम पुत्र रामचन्द मीना	बी. ए.
3.	613	श्री रामजी लाल पुत्र घीसा मीना	मूल आवेदन-पत्र पटवार प्रशिक्षण शाला टोंक को भेजा हुआ है।
4.	651	श्री रामफूल पुत्र गंगा सहाय मीना	हा. सेकण्डरी

कार्यालय जिलाधीश भू.-अभिलेख, अलवर, जिला अलवर

क्रमांक भू.अ./स्था/76/4779 दिनांक 2-8-76

कार्यालय आदेश

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र क्रमांक राज/भू.अ./जी-1 एफ. 148/1884-1909 दिनांक 9-7-76 द्वारा पटवार प्रशिक्षण हेतु आवंटित निम्न 7 उम्मीदवारों का चयन निम्न प्रकार कर इन्हें आदेश दिये जाते हैं कि खाकी कमीज व खाकी नेकर सहित पटवार प्रशिक्षण शाला टोंक में अपनी उपस्थिति तुरन्त प्रस्तुत करें।

क्र.सं. नाम प्रशिक्षणार्थी

1. श्री बस्तीराम मार्फत सूरतसिंह यादव
   रथखाना पुलिस लाईन के पास, अलवर।
2. श्री राधेकान्त पुत्र राधारमण शर्मा,
   535 लाजपतनगर, अलवर (राज.)
3. श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री नारायण,
   मा. मेहन्दी बाग, करौलो कुण्ड के पास, अलवर।
4. श्री रामनिवास पुत्र घीसाराम,
   ग्राम भुनगडा पो. करनोकोट तहसील, मुण्डावर (अलवर)

अनुसूचित जाति

1. श्री जलसिंह पुत्र हरचन्द, ग्राम बनवोरपुरा, पो. टपूकड़ा,
   तहसील तिजारा, अलवर।
2. श्री किशनलाल पुत्र मोरेलाल, ग्रा.-पो.-पृथ्वीपुरा, वाया
   मालाखेड़ा अलवर।

अनुसूचित जनजाति

1. श्री रामजीलाल पुत्र घीसालाल मीणा, सा. ढिस, पो. नडोर,
   तहसील बहरोड, अलवर।

हस्ताक्षर
जिलाधीश (भू.अ.) अलवर

(74)

क्रमांक भू.प्र./स्था/4780–88 दिनांक 2–8–76

प्रतिलिपि :—

1. सचिव (भू.अभि.) राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक राज/भूअ/जी-1/एफ. 148/1884-1909 दिनांक 9-7-76 के क्रम में भेजकर निवेदन है कि जिले से निर्धारित उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण शाला टोंक में उपस्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

2. प्रधानाचार्य पटवार प्रशिक्षण शाला टोंक के पास भेजकर लेख है कि उम्मीदवारों से मेडिकल प्रमाण-पत्र लिये जाकर पत्र के साथ संलग्न है ।

3. श्री·······समस्त

जिलाधीश (भू.प्र.) अलवर

परिशिष्ट–6

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

करोली स्थित मदनमोहन व कैलादेवी के मंदिरों की सम्पत्ति

22. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि करोली स्थित मंदिर मदनमोहन, कैलादेवी भूतपूर्व करौली राज्य की सम्पत्ति थी तथा इनके संचालन के लिये तत्कालीन शासक की ओर से रियासत के अधिकारी प्रबन्ध व्यवस्था करते थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व रियासत की राजकीय सम्पत्ति होने के कारण ही इन मंदिरों को पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने के आदेश राज्य सरकार द्वारा किये गये थे ? यदि हां, तो वर्तमान में श्री गणेशपाल को ट्रस्ट का सोल ट्रस्टी नियुक्त करने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या यह भी सही है कि करौली के भूतपूर्व महाराजा ने शहरी सम्पत्ति कानून और टैक्स के बचाव के लिये अपना निजी सम्पत्ति का बेचान उक्त ट्रस्टों को किया है ? यदि हां, तो क्या इस बेचान की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की गई है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस सम्पत्ति के अवैध बेचान के खिलाफ कार्यवाही करने का क्या इरादा रखती है ?

(4) क्या इन ट्रस्टों की आय की आडिट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

जयपुर शहर के परकोटे बाहर की भूमि

23. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में परकोटे के बाहर किन स्थानों की आवासीय कालोनियों की भूमि को कृषि भूमि मानकर कृषि रूपान्तर अधिकारी ने नोटिस दिये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सीकर हाउस, लालजी का बाग, गोपालबाड़ी, भोपजी का डेरा के निवासियों को भी यह नोटिस दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के परकोटे के बाहर जो भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है, उसके सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ए एवं तत्सम्बन्धी नियम-राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का आवंटन एवं रूपान्तरण) नियम, 1971 के तहत कृषि भूमि रूपान्तर अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं। इस प्रकार की कार्यवाही जिन क्षेत्रों के बाबत की गई उनमें कुछ प्रमुख आवासी कालोनियां निम्नलिखित हैं:—

सीकर हाउस, लालजी का बाग, गोपालबाड़ी, भोपजी का डेरा, पुरोहित जी का बाग, बिचून हाउस, दूदू हाउस, कानोता बाग, उणियारा बाग, सामोद हाउस, चौमू हाउस, डिग्गी हाउस, सिवाड क्षेत्र, हाथी बाबू का बाग है।

(2) जी हां।